खण्ड-338, अंक-4
शनिवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1901
(5 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
स्थित सदस्य	४१९–४२१
ज शनिवार को सदन की बैठक बुलाये जाने पर आपत्ति	४२३
नदी की बाढ़ से इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर, परगना अथंवन में क्षति तथा सहायता की मांग के विषय को नियम ३०१ सदन के संज्ञान में लाना	४२३
ाद के थाना करछना के अन्तर्गत बढ़ते हुए अपराधों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	४२३–४२४
देवरिया जिले के छितौनी चीनी मिल मजदूरों का एक वर्ष का बकाया वेतन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	४२४
ललितपुर जिले के कतिपय ग्रामों में विभिन्न रोगों का प्रकोप तथा चिकित्सा व्यवस्था की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	४२४–४२५
ापुर नगर की हरिजन बस्ती में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	४२५
सी० एस० में प्रोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की ज्येष्ठता की उपेक्षा किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	४२५–४२६
न सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किये जाने पर आपत्ति ..	४२६–४२९
क्त शासन कर्मचारियों तथा सरकार के बीच हुए समझौते के बावजूद हड़ताली कर्मचारियों को जेल से रिहा न किये जाने पर आपत्ति	४२९–४३०
न्य प्रहर की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कोई समुचित कार्यवाही न न किये जाने पर आपत्ति	४३०–४३३
संविधान (चौवालिसवां संशोधन), विधेयक पर चर्चा न कराये जाने पर आपत्ति	४३३–४३४
ाव के बी० डी० ओ० तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सदन में दी गयी कथित गलत सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग	४३४–४३५
आयुर्वेदिक और यूनानी डिप्लोमा के लिए फार्म जमा करने की तिथि को बढ़ाये जाने की मांग	४३५

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर के मोती झील में लाश पड़ी होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण का सदन फ्लोर क्रास करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	४३५-४३६
मथुरा जिले में दो नये पुलों के निर्माण एवं रेल के पुल के दोनों ओर यात्रियों की सुविधा हेतु गैलरी बनाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	४३६
कानपुर के जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश (नगर) इंचार्ज, सर्किट हाउस व नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	४३६-४३७
हरदोई के पास बस ड्राइवर श्री अशोक कुमार की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य .. ..(जारी)	४३७
सदन का फ्लोर क्रास करने पर आपत्ति	४३७
सदस्यों को कार्य सूची न मिलने की शिकायत	४३७
हरदोई के पास बस ड्राइवर श्री अशोक कुमार की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	४३८-४३९
प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट होने तथा व्यापक नकल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन....(जारी)	४३९
प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों के समक्ष गम्भीर संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४४०-४४७
आलू के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	४४७-४६५
आज सदन में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर भूतपूर्व संस्थागत वित्त मंत्री श्री केसरी नाथ त्रिपाठी का नाम छपा होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	४६५-४६७
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, १९७८....(पारित किया गया)	४६७-४७४
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८.... (पारित किया गया)	४७४-४७८
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित किया गया)..	४७८-४८१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४८१
प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आउट होने तथा व्यापक नकल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	४८१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक ५ मई, १९७९ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---२६८

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार, नाथ श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केसरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय', श्री
जगदीश, श्री

जगदीश प्रसादत्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिबेनी सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नत राम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बसंत, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बबरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज' श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज वल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेच राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री

मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री, (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव,' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नारायण, श्री
राज पति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम आधार, श्री
राम आधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लखो सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुरहमान बर्क, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव दास श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोजन सिंह जीना, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती

हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हेम राज, श्री

(आज शनिवार को सदन की बैठक बुलाये जाने पर आपत्ति
श्री नाथू राम शिक्षक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय, शनिवार को विधान सभा बुलाने की नई परम्परा डाली जा रही है। आप देख रहे हैं हाउस को यह तो हम को एक तरह से अधिकार मिला था कि शनिवार को असेम्बली नहीं बुलाई जाय। हाउस में उपस्थिति बहुत कम है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सदन का निर्णय हो चुका है। थोड़ी देर में उपस्थिति हो जायेगी।

यमुना नदी की बाढ़ से इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर परगना अर्थवन में क्षति तथा सहायता की मांग के विषय को नियम ३०१ अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

माननीय, पिछले वर्ष सितम्बर, १९७८ को यमुना नदी की भीषण बाढ़ से जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के परगना अर्थवन के पीड़ित किसान मजदूरों की दयनीय दशा की ओर आप के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि शासन उन कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने की कृपा करेगी।

१--यह कि उपरोक्त क्षेत्र तहसील मंझनपुर के पीड़ित ग्रामों की सूची फसल मकानों की, क्षति के हिसाब से बनवाई जाय।

२--यह कि जिन ग्रामों की खरीफ फसल शत प्रतिशत नष्ट हो गई है उक्त ग्रामों का लगान, खरीफ माफ किया जाय।

३--यह कि उक्त ग्रामों के बड़े काश्तकारों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों के हाथों अधिक लगान पर उठाये गये भूखण्डों का लगान भूमिहीन कृषकों से भी वसूली रोकी जाय।

४--यह कि धराशायी मकानों के मालिकों को छाजन हेतु बांस, बल्ली खपरैल आदि की सहायता वर्षा ऋतु आने के पूर्व की जाय।

५--यह कि सम्बन्धित मंत्री महोदय उक्त सुझावों के सम्बन्ध में बयान देने की कृपा करें।

(सर्वश्री रणबीर सिंह, जगन्नाथ सिंह परमार, गोकरन प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

सरकार के लिये बड़ा अच्छा दिन है।

इलाहाबाद के थाना करछना के अन्तर्गत बढ़ते हुए अपराधों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से सरकार का ध्यान जिला इलाहाबाद की तहसील करछना में बढ़ते हुए अपराध तथा डकैतियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गुरु प्रसाद]

अभी २१/२२ अप्रैल की रात्रि में थाना करछना के एक फर्लांग की दूरी पर १० बजे रात भयंकर डकैती पड़ी जिसमें दो आदमियों की नृशंस हत्या कर दी गयी तथा चार पांच आदमी घायल हुए और पचासों हजार की सम्पत्ति लूट ली गयी। उसी के ठीक एक घंटे बाद थाना करछना के पश्चिम की तरफ गांव 'छरिबना' में डकैती पड़ी जिसमें दो घर लूट लिए गये और एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गयी। ठीक उसके एक घंटे बाद छरिबना गांव के पश्चिम गांव 'पुरवखास' में दो घर लूट लिए गये और एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। इस एक थाने के अन्तर्गत और थानों के समक्ष तथा एक मील के अन्तर्गत हुयी इन तीनों डकैतियों से पूरी तहसील में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। आम जनता में सरकार के प्रति सुरक्षा की समुचित व्यवस्था न होने से अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैंने इन गांवों के साथ और कई गांवों का दौरा किया। ठीक उसके दूसरे दिन उसी थाने के अन्तर्गत गांव 'बरौव' में दो व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दी गयी।

इससे आम जनता में बढ़ती हुयी डकैती और कत्ल से शासन के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो रही है और जन साधारण में सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस प्रकार लोग आपातकाल की स्थिति की पुनरावृत्ति का स्मरण करते हुए सुने व देखे जा रहे हैं।

देवरिया जिले के छितौनी चीनी मिल मजदूरों का एक वर्ष का बकाया वेतन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जिले के छितौनी चीनी मिल सरकार के नियंत्रण में है तथा सरकार ने आदाता नियुक्त कर दिया है। मजदूरों का एक वर्ष का वेतन बाकी है। मजदूर मिल को चलाते हुए हर प्रकार के शान्तिपूर्वक आन्दोलन करके थक चुके हैं। उन्होंने नारे लगाये, अनशन किए, प्रदर्शन किए, परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ। आज उनके सामने भीषण आर्थिक संकट खड़ा है। सरकार का बकाया, दुकान का बकाया, मकान का बकाया बाल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि के अलावा भोजन की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। आज वे दाने-दाने के लिये मुहताज हो गये हैं। उनके बाल-बच्चे बिलबिला रहे हैं। उनकी दुर्दशा देख कर क्षेत्र की जनता में भीषण रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मजदूर आन्दोलित हैं।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान तत्काल आकृष्ट करने की सूचना देता हूं। अविलम्ब समस्या का समाधान किया जय ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाय।

ललितपुर जिले के कतिपय ग्रामों में विभिन्न रोगों का प्रकोप तथा चिकित्सा व्यवस्था की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना जनहित को दृष्टिगत करते हुये आपके संज्ञान में ला रहा हूं। मान्यवर, ललितपुर जनपद अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जहां पर गरीबी की सीमा के नीचे असीम कठिनाइयों में अधिकांश जनमानस ग्रसित रहता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी उपेक्षा भरी दृष्टि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहां के लोगों को कालकवलित करती रहती है । पत्थर की खदानें होने के कारण एवं उसकी समुचित व्यवस्था न होने के कारण पूरे जनपद में विशेष तौर से ब्लाकवार, मड़वरा, विरधा ब्लाक में बड़े अजीब प्रकार के रोग पनप गए हैं । सैकड़ों लोग टी० बी० से पीड़ित हैं । ठीक प्रकार से उपचार न होने तथा विशेष तौर से यातायात के साधन न होने के कारण वहीं लोग जान दे देते हैं ।

मदनपुर के पास एक नाले में जल प्रदूषण से सैकड़ों लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हो रहे हैं । साथ ही साथ अजकल एक अपने प्रकार का अजीब प्रकार का रोग भी पनप रहा है । जिसे बुन्देलखंड की भाषा में डोरुआ (ड्रेकन क्लोसिस टाइप) कहते हैं । यह एक परजीवी संक्रामक रोग है । जो कि विशेष तौर से बरसात के दिनों में शरीर के किसी सुकोमल अंश पर आक्रमण करके धमनी एवं शिराओं में प्रवेश कर धीरे-धीरे खून चूसता है । और लोगों को उस रोग का किंचित मात्र भी पता नहीं लग पाता है । और रक्त अल्पता के कारण व्यक्ति के शरीर में सूजन हो जाती है और अन्त में मृत्यु हो जाती है । उस बीमारी में शल्य साधन के माध्यम से सफेद रंग का एक डोरे जैसा जन्तु निकलता है ।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि सैकड़ों लोगों की जान बचाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें तथा उनके उपचार हेतु ग्राम बालाबेहट, मदनपुर, लखनजरपापड़ा एवं मेहलौनी सूबा कैलगवां में इन सब रोगों के नियंत्रण हेतु अविलम्ब समुचित चिकित्सा केन्द्र खोल कर राहत दें तथा मंत्री जी से यह भी आग्रह है कि एक सप्ताह के अन्दर जांच करवा कर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें ।

सीतापुर नगर की हरिजन बस्ती में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह सीतापुर नगर में हरिजन बस्ती के ४० झोपड़ों के भस्मसात हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अग्निकांड से उक्त परिवारों की सम्पूर्ण गृहस्थी नष्ट हो गयी । सभी हरिजन परिवार तथा उनके बच्चे इस चिलचिलाती धूप में सामियाने के नीचे बड़ी दयनीय जिन्दगी जी रहे हैं । कपड़े तथा बिस्तर भी नहीं हैं । शासन की ओर से कोई समुचित सहायता न दिये जाने से जनता में असन्तोष है ।

मान्यवर, समाज के कमजोर वर्ग के इन बाल्मीकी भाइयों के पुनर्वास आदि के लिए सरकार को समुचित प्रयास करना चाहिये । मैं आग्रह करूंगा कि सभी के लिए झोपड़े बनवा दिये जायं तथा कपड़े व बरतन आदि के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाय । यह भी आवश्यक है कि उक्त हरिजन बस्ती की भूमि जोकि नगरपालिका की है उसके प्लाट बनाकर इन हरिजन भाइयों को पट्टे दे दिये जायं जिससे कि वह अपने साधनों की सीमा में पक्की कोठरियां बना सकें ।

मान्यवर, माननीय गोकरन प्रसाद जी की सूचना भी यही है ।

पी० सी० एस० में प्रोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की ज्येष्ठता की उपेक्षा किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक सेवा आयोग द्वारा पी० सी० एस० में प्रोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु राजस्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[जगन्नाथ सिंह परमार]

विभाग के तहसीलदारों का साक्षात्कार किये जाने तथा उसी विभाग के चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की ज्येष्ठता को उपेक्षा किये जाने की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

मान्यवर, शासन का प्रस्ताव दिनांक १२ अप्रैल, १९७७ जिसमें पी० सी० एस० के लिए ३० चकबन्दी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लेने का था तथा जिसको स्वीकृति भी लोक सेवा आयोग ने ११-८-७८ को दे दी थी। इसके उपरान्त भी चकबन्दी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी सेवाओं के हित लाभ से पी० सी० एस० से न लेकर वंचित किया जा रहा है जबकि यह चकबन्दी अधिकारी के पद पर १९७२ से स्थायी हैं और इसके विपरीत बहुत से तहसीलदारों को साक्षात्कार में बुलाया गया जो अब तक तहसीलदार पद पर स्थायी भी नहीं हुये हैं और बहुत से सेवा निवृत्त हो चुके हैं, जो नितांत अवैधानिक है। जिससे चकबन्दी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में निराशा व असंतोष व्याप्त है। जिससे निकट भविष्य में आन्दोलन का रूप ले सकते हैं।

अतः शासन से मांग करता हूं कि चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को सन् १९७३ से १९७७ तक के रिक्त स्थानों के भरने हेतु साक्षात्कार अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय और उस समय तक तहसीलदारों का पी० सी० एस० के लिये किया गया परिणाम स्थगित किया जाय ताकि चकबन्दी अधिकारियों को न्याय मिल सके।

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचित न किये जाने पर आपत्ति

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण सूचना की मांग करनी है और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था।

एक सदस्य--

एक सूचना मुझे भी देनी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका अगर कोई औचित्य का प्रश्न हो तो बाद में आपको मौका देंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, अध्यक्ष का पद कब तक रिक्त रहेगा? अगर शासन पार्टी को कोई परेशानी है तो वह सदन को बतायें, यह सदन सक्षम है हम यह जानना चाहते हैं कि क्या राज्यपाल महोदय ने माननीय अध्यक्ष के चुनाव का कोई तिथि घोषित की है? यह आप कब तक टालते रहेंगे। हम यह मानते हैं कि शासन दल में कोई एकता नहीं है और वह सदन में जाहिर होता ही है। आपके अन्दरूनी झगड़े हैं। यदि राज्यपाल ने चुनाव की कोई तिथि निश्चित की हो तो वह बतायें, नहीं तो क्यों?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

एक बात हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो नियमावली है उसके अनुसार यह सत्र आरम्भ होने से १५ दिन के अन्दर चुनाव हो जाना चाहिये। दो तारीख का सत्र आरम्भ हुआ आज ४ दिन सत्र चले हुआ लेकिन यह ऐसे मौन बैठे हुये हैं जैसे फिर चुनाव टालना चाहते हों। पिछले सत्र में भी हमने ध्यान आकृष्ट किया था सरकार का और तब जाकर तिथि निर्धारित की थी १७ तारीख की। फिर वह

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थगित किया गया, यह कहा गया कि अगले सत्र में निश्चितरूप से चुनाव करा दिया जायेगा । हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से जो आश्वासन मिला है उसके अनुसार राज्यपाल महोदय से कहा गया है और चुनाव करने के लिए कार्य हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी हमको चाहिये । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

(श्री रमाशंकर कौशिक के खड़े होने पर) मान्यवर, पहले सबको सुन लें उसके बाद जवाब दें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या मालूम कि वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़ों की वजह से सदन का कार्य न हो यह नहीं होना चाहिये । अध्यक्ष पद का चुनाव यह टालना चाहते हैं । जनतापार्टी का जो भी रुख हो उसे सदन के सामने स्पष्ट करें और जिस तरह से आप अध्यक्ष की कुर्सी पर सुशोभित हैं इसे जारी रखना चाहते हैं तो वह कह दें ताकि कम से कम संतोष हो जाय या फिर कोई दूसरी बात सोच रहे हैं तो वह सामने आ जाय, किस एशोपेश में यह पड़े हुये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, जहां पर मतभेद न हों । अगर वह लोकतांत्रिक है और वहां पर अधिनायकवादी प्रवृत्तियां नहीं हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

लेकिन अराजकता तो न हो ।

श्री बनारसी दास--

किसी भी राजनीतिक दल के अंदर मतभेद होना यह उसके स्वास्थ्य की निशानी है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

दिल से बोलिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मतभेद अलग बात है लेकिन यहां पर तो इधर से उधर होने लगे हैं ।

*श्री बनारसी दास--

जहां तक अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न है प्रक्रिया नियमावली के अंदर उसकी प्रक्रिया दी गई है । दो तारीख को अधिवेशन शरू हुआ और स्पीकर का चुनाव १५ दिन के अंदर सम्पन्न होना है । १५ दिन के अन्दर स्पीकर का चुनाव सपन्न होगा या सदन उसे स्वयं स्थगित कर सकता है । इसलिए जो नियमावली है उसके अनुसार यह चुनाव होगा और यहां के कार्य में किसी तरह का व्यवधान न हो उसकी व्यवस्था शीघ्र की जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देवबहादुर सिंह---

सारा रास्ता माननीय मुख्य मंत्री जी ने निकाल लिया जैसे पिछली बार सदन की सहमति से स्थगित कर दिया उसी तरह से एक रास्ता मुख्य मंत्री जी ने रखा हुआ है ।

श्री बनारसी दास---

मैं आपके अधिकार को कैसे छीन सकता हूं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हमारा निवेदन था कि क्या सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय को सुझाव दिया गया है कि फलां तारीख निश्चित कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो पहले से गया हुआ है, माननीय राज्यपाल के यहां ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

सरकार की तरफ से सुझाव गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

पहले से गया हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

एक बात से पूरा सदन, लगभग हर सदस्य पशोपेश की स्थिति में है । इस सदन में माननीय राजमंगल पाण्डेय जी जब कभी बोलते हैं, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हर दल के अंदर मदभेद होते है जो स्वस्थ होने की निशानी है, मैं जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के टिकट में चुने हुए सदस्य जब इधर से उधर करने लगते हैं तो इस बारे में स्थिति सदन में स्पष्ट हो जाय, तो अच्छा होगा।

श्री देव बहादुर सिंह---

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि १५ दिन के अन्दर..

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कह तो दिया, आज दो तारीख है १७ तारीख तक कोई निर्णय हो सकता है, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिये ।

श्री देवबहादुर सिंह--

उस बार मंत्री जी ने कहा था कि सरकार अगली बार फिर राज्यपाल को परामर्श देगी कि किस तारीख को यह हो । तो क्य इस तरह का कोई परामर्श महामहिम को भेजा गया है या नहीं ?

श्री बनारसी दास--

इसमें स्पष्ट रूप से, नियमावली में जो प्राविधान है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी और अभी जो वर्मा जो कहते हैं, इसके लिए तो आपको उनका कृतज्ञ होना चाहिये कि वह आपकी मदद करते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि अध्यक्ष पद बड़े गौरव और गरिमा का है। मैं विरोधी दल के सभी सदस्यों से बात करके निश्चित करूंगा और यह चेष्टा करूंगा कि कोई सर्वसम्मत व्यक्ति हो जाए। किन्तु आज ऐसा लगता है कि उनका मन बन चुका है इसको स्थगित करने का। यदि चुनाव कराने की बात होती तो वह हमसे बात करते। इससे ऐसा लगता है कि स्थगित करने की भावना उनकी है।

श्री बनारसी दास--

मेरा कोई इरादा स्थगित करने का नहीं है। मैंने केवल वस्तुस्थिति को प्रकट किया। यह सदन का अधिकार है, मैं उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहता। यदि कोई चाहता है कि स्थगित किया जाए तो प्रस्ताव आपके सामने आएगा और तारीख निश्चित की जाएगी तो उस पर आप सबसे परामर्श किया जाएगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने सर्वसम्मति की बात कही थी, उसके बारे में बता दीजिए। (व्यवधान)

स्वायत्त शासन कर्मचारियों तथा सरकार के बीच हुए समझौते के बावजूद हड़ताली कर्मचारियों को जेल से रिहा न किये जाने पर आपत्ति

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, ३ मई को स्वायत्त शासन कर्मचारियों और मंत्री जी के बीच उनके कक्ष में ११ बजे रात्रि में एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। उसमें यह भी तय हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आ चुका है, आपने लिखित तो भेजा नहीं है। बैठिये।

श्री बाबूराम शुक्ल--

सुन तो लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आप लिखकर भेज दीजिए। (व्यवधान)

यह तरीका नियमों के विरुद्ध है।

श्री बाबूराम शुक्ल--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जाएगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बाबूराम शुक्ल---

यह तय हुआ था कि जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, वे तुरन्त जातीय मुचलके भरने पर छोड़ दिये जायेंगे । मैंने इस पर कल रात्रि तक ए० डी० एम० (सिटी), कानपुर से बात की है, लेकिन कोई भी कर्मचारी जेल से रिहा नहीं किया गया है । उसके परिणाम स्वरूप कोई भी कर्मचारी काम पर वापस नहीं आ रहा है । अतः आप जिलाधिकारी को निर्देश भेजकर तुरन्त अपने वायदे को पूरा करायें, जिससे सामान्य स्थिति आए और सारा कामकाज फिर से शुरू हो जाए ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका यह तरीका ठीक नहीं है । यदि कोई सूचना देनी थी, तो आप लिखकर देते ।

शून्य प्रहर की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कोई समुचित कार्यवाही न किए जाने पर आपत्ति

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मैं नियम ३०१ की सूचनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अब यह कार्य निश्चल सा, रश्मी हो गया है । कोई सुने या न सुने, कोई कार्यवाही हो या न हो, कोई उत्तर मिले या न मिले, लेकिन विधायक लोग अपनी बात पढ़ दिया करते हैं । फिर शून्यप्रहर का मतलब यह है कि महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार का ध्यान दिलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

कल यह आया था, आप थे नहीं...

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

शुक्ल जी ने जो महत्व का प्रश्न उठाया, वह सही उठाया और ऐसे ही उठाए जाने चाहिए । यह लिखकर देने की परम्परा भी आप खत्म कर दीजिए । इतना भले आवश्यक हो कि हम लिखकर दे दें कि इस विषय को उठाना चाहते हैं ।

बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर पहले घटना हो गयी, उसके बारे में कोई प्रश्न हम उठाना चाहते हैं । इतना समय नहीं मिला है कि आपको लिखित सूचना नियम ५१, ५२ या और नियम में दे सकें । इसलिए शून्य प्रहर होता है । वह शून्य प्रहर विधान सभा का सबसे रोचक होता था, कुछ फुलझड़ियां झड़ती थीं, फायर वर्क्स होते थे । लेकिन आज शून्य प्रहर बिलकुल शून्य हो गया है । केवल रिचुवल हो जाता है जैसे कोई चिट्ठी पढ़ दे । न सरकार परवाह करती है, न कर्मचारी । न उत्तर आता है । इस परम्परा को सुधारा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय नेगी जी ने जो आपत्ति उठायी (कई सदस्यों को खड़े होने पर व्यवधान) अभी परसों इस पर चर्चा हो चुकी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री गुलाव सेहरा (जिला आगरा)--

उसमें गम्भीर बात है। उपाध्यक्ष जो, मेरा निवेदन यह है कि नियम ३०१ के जो प्रश्न है उसमें पहले से व्यवस्था कर दी गयी है कि कम से कम पूरा उत्तर न दे तो अंतरिम उत्तर एक हफ्ते म पहुंच जाय ओर एक महीने में पूरा उत्तर पहुंच जाना चाहिये। पिछले सत्र में २६-२७ मार्च को मैंने नियम ३०१ के प्रश्न दिए थे। उनमें केवल एक का उत्तर मिला कल। दूसरे का उत्तर अभी तक नहीं आया, अन्तरिम उत्तर भी नहीं आया।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, हम नियम ३०१ के अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाते हैं। मान लीजिए पुलिस की ज्यादती की बात उठाते हैं। यहां मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई वह व्यक्ति जो पार्टी है उससे रिपोर्ट मंगा कर वही रिपोर्ट छाप करके हम लोगों को भेज देते हैं। मेरा कहना यह है कि ३०१ के प्रश्न को शासन महत्व दे। कि यह महत्वपूर्ण विषय है। जब विधान सभा में उठाया गया है तो उसकी जांच उन पार्टियों को नहीं भेजनी चाहिये, मैं तीन चार उदाहरण देता हूं, पिछली दफा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध एक मामला उठाया था, रेलवे में डकैती का मामला उठाया था, एस० एस० पी० और सम्बन्धित थानेदार ने जो रिपोर्ट विभाग की थी वही छाप कर भेज दी। मुझे यह बतायें कि जो प्रश्न उठाया गया। उसमें न्याय कहां हुआ, जिसके विरुद्ध कोई पार्टी आवाज उठा रही है, वही उत्तर भेज रहा है वही मंत्री जी दे रहे हैं, इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि नियम ३०१ की सूचना यदि कोई अधिकारी पार्टी है तो उससे उसकी जांच न करवायी जाय। लखनऊ से कोई व्यक्ति जाय, वहां जांच करने के बाद विभाग को रिपोर्ट दे, तब उसका उत्तर मिले, तो सूचना देने का लाभ भी है। जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा नियम ३०१ का प्रश्न, जीरो आवर जीरो बनकर रह गया है। जब इतने महत्वपूर्ण मामलों को हम सदन में उठाते हैं, तो लोगों को विश्वास पैदा होता है कि आज विधान सभा में यह मामला उठाया गया है, उस पर न्यायपूर्ण कार्य होगा। लेकिन नहीं होता। नियम ३०१ के बारे में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि सम्बधित पार्टी की रिपोर्ट के आधार पर वह विभाग न लिखे।

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में...

श्री देव बहादुर सिंह (नैनीताल)--

एक बात सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, सुनने के बाद आप कहें तो ज्यादा वजनदार बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में पहले से निर्देश जारी हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

पहले आप सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप कहें, हम भी कहे जायेंगे । नियम ३०१ बन्द होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

बन्द होना चाहिये तो सब नेता बैठ जायं । अगले मंगलवार या बुधवार को सब नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें निर्णय ले लें । वहां जो बातें कहनी हैं, वह कहें, और जो निर्णय वहां ले लिया जायेगा वह अंतिम होगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, आप एक मीटिंग करें और अनुभव से लाभ उठावें । नियम ३०१ जिसको हम अपना पोषक कहते हैं, उस पर कुछ पुनर्विचार होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो फैसला ले लिया जायेगा वह सदैव के लिए इस सदन का निर्णय हो जायेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम ३०१ को पढ़ें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप इसको न पढ़ें । जब मैंने एक निर्णय ले लिया कि सभी दलों के नेतागण होंगे, नेता सदन होंगे और नेता विरोधी दल भी होंगे उस बैठक में इस पर विचार होगा । यह ठीक है कि इससे काफी मदद मिलती है । माननीय सदस्य अपनी समस्याओं को उठाते हैं तो उनका निराकरण होना चाहिये और जब शासन से उनको सूचना नहीं मिलती है तो असंतोष होना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर निराकरण के लिए जैसा कि मैंने कहा मंगल या बुध को आपकी राय से निश्चय कर लिया जायेगा और उसी दिन बैठक में निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

निराकरण कैसे होता है ? सेल्स टैक्स अफसर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मैंने उसको इसी नियम में उठाया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

नियम ३०१ में हमको अधिकार है कि जो औचित्य के प्रश्न नहीं हैं, उनको उठाया जा सकता है । शून्य प्रहर को समाप्त करने की बात मुख्य मंत्री जी जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना बवाल काटने के लिए किया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था हिन्दुस्तान के सारे राज्यों में है । लोक सभा में है । यह व्यवस्था कोई इसी सदन में नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप व्यवस्था का प्रश्न अलग से उठा रहे हैं या इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में मैंने यह निर्णय ले लिया है कि सभी नेताओं के साथ बैठकर निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसी सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । आपके पास सर्वोच्च शक्ति है । आपकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था हो चुकी है कि ७ दिन के अन्दर उत्तर आयेगा । अपनी इस व्यवस्था के बाद आप दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं कि नेताओं से परामर्श करेंगे । आप स्वयं सक्षम हैं और आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको कैसे प्रभावी बनाया जाये यही बात करनी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे नेता हैं जो इनसे चिपके हुए हैं । आप उसमें राज मंगल पान्डेय को भी बुला लें।

संविधान (चवालिसवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा न कराये जाने पर आपत्ति

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मैंने नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी है । संविधान का ४४वां संशोधन लोक सभा ने पास कर दिया और राज्य सभा से पारित हो गया । ४३वां संशोधन भी पारित हो चुका है । हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और लोक सभा में हमारे प्रदेश के सदस्य सबसे अधिक हैं । आज तक इस सदन ने ४४वां संविधान विधेयक पर अपने विचार नहीं व्यक्त किये हैं ।

आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई । संविधान में एक नयी तरह की व्यवस्था कायम हुई और इतने महत्व के प्रश्न पर यहां चर्चा नहीं हुई । अगर चर्चा होती तो हम अपने कुछ उपयोगी सुझाव भी दे सकते थे जो नहीं दे पाये । भारत का यह सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां की सबसे बड़ी विधान सभा है और उसे उस पर विचार करने का समय नहीं दिया गया । आप यह आदेश करें कि उस पर विचार के लिये समय निश्चित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपत्ति उठायी गयी है वह उचित ही है । वह सदन में आना चाहिये था (व्यवधान).. अब चूंकि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं है । भविष्य में शासन इस पर ध्यान रखे कि जब कभी कोई संविधान संशोधन विधेयक पास हो और उक्त समर्थन के लिये प्राप्त हो तो उसको यहां पर भी चर्चा के लिये रखा जाये ।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

उसकी प्रतियां तो मिल गयीं थीं, पर चर्चा नहीं करायी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उस पर कह दिया है ।

(व्यवधान)

उन्नाव के बी० डी० ओ० तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सदन में दी गयी कथित गलत सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मेरा एक प्रश्न था जिसकी सूचना मैंने आपको दी थी, उस दिन माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने गलत उत्तर दिया था और आपने उन्हें ५ तारीख को वक्तव्य या सूचना देने के लिये कहा था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

इन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था और आपने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री को पता लगाकर आज सूचना देने के लिये निर्देश दिया था उन्नाव के बी० डी० ओ० के ट्रान्सफर के बारे में । आज वे यहां सदन में हैं नहीं । इनकी बात आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा था, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी नहीं हैं, मुख्य मंत्री जी हैं, आज असेम्बली उठने के पहले तक जो भी सूचना हो ग्राम्य विकास मंत्री जी बता दें, अगर उनको न मालूम हो तो उसके लिये बता दें कि कब सूचना देंगे ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर पहले दे दें ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि ३ कर्मचारियों का निलम्बन हो चुका है तथा खंड विकास अधिकारी का ट्रान्सफर हो गया है, जबकि किसी कर्मचारी का ट्रान्सफर नहीं हुआ है, उन्होंने सदन को गुमराह किया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

के सम्बन्ध में सदन में दी गयी कथित गलत सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है, मुख्य मंत्री जो बैठें हैं, आज शाम तक बतला दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि आज शाम को ५ बजे तक माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी इसके बारे में बतला देंगे । सूचना होगी तो तुरन्त दे देंगे नहीं तो समय ले लेंगे ।

आयुर्वेदिक और यूनानी डिप्लोमा के लिए फार्म जमा करने की तिथि को बढ़ाये जाने की मांग

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

एक सूचना सदन को देनी है । आयुर्वेदिक और यूनानी डिप्लोमा के लिये फार्म जमा करने की आखिरी तारीख १४ जून रखी गयी है और इन्टर का रिजल्ट २० जून तक आयेगा, इसलिये रिजल्ट आने के बाद तक की कोई तिथि रखी जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में पहले हमें आप सूचना लिखकर दे दें, इस तरह से अगर आप प्रश्न उठायेंगे तो यह गलत होगा ।

कानपुर के मोती झील में लाश पड़ी होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, आपने हमारे कानपुर को कह दिया कि उनकी हड़ताल चल रही है, इजाजत नहीं दी, बोलने के लिए, सरकार का ध्यान कानपुर ले जाना चाहता हूं कि वहां पर लाश पड़ी थी परसों तक मोती झील में, जहां पूरे कानपुर का पानी आता है, हालत खराब हो रही है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर सुझाव आ चुके हैं । अगर आपकी कोई नई जानकारी हो, सरकार ने आश्वासन दिया हो और पालन न किया हो, तो आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

नियम ३१० (४) के अन्तर्गत एक प्रस्ताव मैंने भेजा है । इसमें...

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी । उसके बारे में आप हमारे कक्ष में आ जायें और बात कर लें ।

सदन के फ्लोर क्रास करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री लक्खी सिंह के फ्लोर क्रास करने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस सदन की यह व्यवस्था है कि सदन के फ्लोर को क्रास नहीं कर सकते । अभी माननीय लक्खी सिंह जी ने फ्लोर को क्रास किया । यह अनुचित है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो अर्थ आप लगा लें । नियमानुसार यह नहीं करना चाहिए ।

मथुरा जिले में दो नये पुलों के निर्माण एवं रेल के पुल के दोनों ओर यात्रियों की सुविधा हेतु गैलरी बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मैं, राधे श्याम शर्मा, सदस्य, विधान सभा, मथुरा जिले में दो नये पुलों के निर्माण एवं रेल के पुल के दोनों ओर यात्रियों की सुविधा हेतु गैलरी बनाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह, ग्राम शुल्ल, डा० खास, जिला मथुरा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कानपुर के जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश (नगर), इंचार्ज सर्किट हाउस व नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्री वीरेन्द्र पति यादव, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने कानपुर के जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश (नगर), इंचार्ज सर्किट हाउस व नायब तहसीलदार, श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब २६ अप्रैल, १९७९ को परिवहन विभाग की केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के निरीक्षण हेतु सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति दौरे पर गई, तो उसके निवास एवं बैठक के स्थान का प्रबन्ध शासन की तरफ से सर्किट हाउस में किया गया था और वहां बैठक भी होने वाली थी किन्तु जिलाधिकारी की तरफ से केवल सर्किट हाउस के अनेक कक्षों में से एक ही कक्ष खुलवाया गया था, जो समिति के ३० सदस्यों व समिति के साथ जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए नितान्त अपर्याप्त था । इसके कारण माननीय सदस्यों को १० बजे से ११ बजे तक बड़ी कठिनाई व असुविधा का सामना करना पड़ा । एक बजे के लगभग जब समिति केन्द्रीय कर्मशाला का निरीक्षण करके वापस आई तब भी सर्किट हाउस में केवल एक ही सूट उपलब्ध था बाकी सभी बन्द पाये गये । बहुत प्रयत्न करने के बाद एक सूट और खोल दिया गया किन्तु उस पर भी समिति के आवास की समस्या का समुचित समाधान नहीं हुआ । सर्किट हाउस में समिति के प्रबन्ध के लिए एक नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र सिंह नियुक्त थे । श्री राजेन्द्र सिंह एवं समिति के लिए नियुक्त अन्य कर्मचारियों का व्यवहार भी शिष्टाचार के प्रतिकूल था । श्री राजेन्द्र सिंह के बात करने का तरीका भी बड़ा अपमानजनक था । माननीय सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने यह भी कहा है कि २६ अप्रैल, १९७९ को समिति अधिकारी द्वारा जिलाधीश को यह सूचना भेज दी गयी थी कि समिति २६ अप्रैल, १९७९ को लगभग १० बजे सर्किट हाउस में पहुंच जायेगी, जिसकी सूचना उन्होंने अतिरिक्त जिलाधीश (नगर) तथा इंचार्ज सर्किट हाउस को दी थी लेकिन वहां पर शिष्टाचार के नाते कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था । यहां तक कि श्री राजेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार भी बहुत बुलाने पर समिति के समक्ष आये । माननीय सभापति का कहना है कि उक्त अधिकारीगण ने इस प्रकार अनुशासनहीन आचरण करके समिति के कार्य में जानबूझकर बाधा ही नहीं पहुंचाई बल्कि उक्त समिति एवं माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है ।

मैं माननीय सभापति की इस शिकायत को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ६६ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के लिये निर्दिष्ट करता हूं ।

हरदोई के पास बस ड्राइवर, श्री अशोक कुमार की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (परिवहन मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, कल हरदोई के विधायक माननीय अशोक बाजपेयी ने नियम ३०१ की सूचना दी थी । उस संदर्भ में परसों हरदोई के कुछ बस आपरेटर्स और ड्राइवरों और कंडक्टरों माननीय मुख्य मंत्री और मुझसे भेंट किया था । कल मैं हरदोई गया था वहां जानकारी के बाद जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उससे यह पता लगा कि २ मई को सायंकाल लखनऊ की ओर से एक बस जब आ रही थी तो मटवा ग्राम के पास एक यात्री से कुछ कहा सुनी हो गयी । इस बीच में बस के ड्राइवर अशोक कुमार थे उन्होंने यात्री को रोकने की कोशिश की, यात्री ने उनके चाकू मार दिया । यह दुःख का विषय है कि उस चालक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी । इसी के बाद वहां कुछ व्याप्त उत्तेजना हो गयी और बस के चालक और परिचालक जो थे इन लोगों ने बसों को चलाना बन्द कर दिया । तो मैं कल हरदोई गया था वहां पर जनता के प्रतिनिधियों और साथ ही साथ गणमान्य नागरिक ।

सदन का फ्लोर क्रास करने पर आपत्ति

(श्री लक्खी सिंह के फ्लोर क्रास करने पर ।)

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, ऐसे ही हाउस चलेगा ? (शोर) इनको माफी मांगनी चाहिये ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं लक्खी सिंह की तरफ से क्षमायाचना करता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह कौन हैं क्षमा याचना करने वाले, वह खुद नियम जानते हैं । उनको कहना चाहिए । यह अधिकारों का सवाल है ।

सदस्यों को कार्यसूची न मिलने की शिकायत

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

मेरी एक शिकायत है, सुन लें । मैं यह कहना चाहता हूं कि २ दिन से कमरों में एजेन्डा नहीं जा रहा है । कृपा करके उसको भिजवायें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

एजेंडा नहीं पहुंच रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शिकायत माननीय सदस्य को आगे नहीं मिलेगी ।

हरदोई के पास बस ड्राइवर, श्री अशोक कुमार की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

(परिवहन मंत्री) श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर हड़ताल की घोषणा कर दिया। जब मैं वहां पर गया तो सबसे बात चीत हुयी। यह सही है कि स्थिति उत्तेजनापूर्ण इसलिये हो गयी थी कि तीन मई को पोस्टमार्टम के बाद जब मृतक की लाश मिली तो कुछ लोगों ने प्रयास किया कि उसको लखनऊ लाया जाय। इस सम्बन्ध में वहां धारा १४४ लगी थी तो २२ लोग गिरफ्तार हुये लेकिन इन सबको रिहा कर दिया गया है और माननीय मुख्य मंत्री ने यह घोषणा किया है कि मृतक के जो आश्रित हैं उनको ५ हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायगी। इसके अतिरिक्त जो बस के मालिक थे उन लोगों से बातचीत हुई, बस के मालिकों ने घोषणा किया है कि वे अपनी ओर से जो मृतक के आश्रित हैं उनको ५ हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगें। इसके अतिरिक्त बस के आपरेटरों और ड्राइवरों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है और स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। साथ-साथ जो बस के मालिकों ने हड़ताल की घोषणा की थी उसको वापस ले लिया है और आज जो मुझको सूचना मिली है उसकी जानकारी के अनुसार स्थिति सामान्य है और बसें पूर्ववत् चल रहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, यह एक आम बात हो गयी है हरदोई में प्राइवेट बसें चलती हैं, हरदोई-लखनऊ, हरदोई-शाहजहांपुर, हरदोई-उन्नाव, हरदोई-सीतापुर, जहां पर प्राइवेट बसें चलती हैं वहां बिना टिकट चलना आम बात हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा---

मैं स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं। उसमें होता यह है कि बस के मालिक टिकट नहीं देते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा---

चूंकि टिकट सब को नहीं देते हैं इसलिये कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना टिकट जायेंगे। ऐसी स्थिति में दो बातें आती हैं जिसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक तो बस मालिकों की तरफ से बिना टिकट ले जाने के सिलसिले में क्या आपने सोचा है। दूसरी बात जो यह घटना हो गयी तो आपने दो दिन के लिये सुरक्षा व्यवस्था कर दी लेकिन आगे कंडक्टर और ड्राइवर सुरक्षित रहें इसके लिये आपने क्या निर्णय लिया है?

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, वास्तव में बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री भी सुरक्षित नहीं रह गये हैं चूंकि आये दिन यह घटनायें चाकूबाजी या लूट की हो रही हैं इसलिये क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बसों में सभी लोगों की सुरक्षा के लिये आप क्या कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें यह बात सही है कि प्राइवेट बस में यात्री बिना टिकट चलते हैं और चूंकि प्राइवेट गाड़ियां हैं और ड्राइवर तथा कंडक्टर बिना टिकट यात्रियों को ले जातें हैं तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। लेकिन परिवहन बसों में बिना टिकट जो चलते हैं उनके सम्बन्ध में दो वर्ष पूर्व कानून बनाया गया था और वह लागू है। दूसरी बात जो लखनऊ

से थोड़ी दूर पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गयी थी उसमें पहले कहा सुनी हो गयी थी और इसलिये यह घटना घटी । इस घटना के सिलसिले में जिलाधिकारी और डी० आई० जी० भी वहां गये जिनसे वहां के नागरिकों से बातचीत हुई और उसके पश्चात् वहां सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है ताकि इस प्रकार की आगे घटना न हो । लेकिन साथ ही इसमें जनता और जन प्रतिनिधियों के सहयोग की भी आवश्यकता है क्योंकि किसी बस के साथ हर समय पुलिस नहीं चल सकती है । लेकिन वहां इस प्रकार के निदश दे दिये गये हैं कि नगरों में जो नाके थाने पड़ते हैं वहां पुलिस उपस्थित रहे और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें न हों ।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, हाईस्कूल व इन्टर की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आउट होने तथा व्यापक नकल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य पढ़ें ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, वक्तव्य की प्रतियां तो दिलवा दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, दो तारीख को यह मिला था, सूचना अब उपलब्ध हो पायी है इसलिये प्रतियां तैयार न होने से बांटी नहीं जा सकीं । यह मामला हाई स्कूल और इन्टर का है जो सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिया गया है । जहां तक जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में नकल की बात है तो उसके सम्बन्ध में यदि आप सोमवार को रख लें तो छपवाकर वक्तव्य दे देंगे । लेकिन मैं जूनियर हाई स्कूल के मामले को भी सी० आई० डी० को सुपुर्द करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि माननीय सदस्य लिखित चाहतें हैं तो बता दें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, इसको टाला न जाय और आज ले लें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, प्रदेश के कई जिलों में गेस पेपर छपे हैं । और नकल हुई है इसलिये वक्तव्य की प्रति हम चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन के उठने के पहले दे दें तो अच्छा है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, ४ बजे देने का हम प्रयास करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी आप दे दें ।

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों के समक्ष गम्भीर संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

माननीय, चालू रबी मारकेटिंग वर्ष में सीधे उत्पादकों से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीदे जाने की शासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है और खरीदारी दिनांक १५ अप्रैल, १९७९ से प्रारम्भ हो गई है। इस वर्ष ग्रेड–१ के गेहूं का समर्थन मूल्य ११५ रु० तथा ग्रेड–२ के गेहूं का समर्थन मूल्य ११३ रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में २·५० रु० प्रति क्विंटल अधिक है।

खरीदारी का कार्य गत वर्ष चार विभिन्न क्रय एजेन्सियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, राज्य सरकार की मारकेटिंग शाखा व उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तुयें निगम द्वारा किया गया, किन्तु इस वर्ष उक्त क्रय एजेन्सियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम द्वारा भी खरीदारी का कार्य किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम तथा उ० प्र० सहकारी संघ द्वारा खरीदारी का कार्य सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में (अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी को छोड़कर) किया जा रहा है। प्रदेश के नैनीताल, मुरादाबाद तथा रामपुर जिलों को छोड़कर, जहां खरीदारी उ० प्र० राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम द्वारा की जा रही है, प्रदेश के अन्य सभी खरीदारी वाले जिलो में राज्य सरकार के मारकेटिंग विभाग द्वारा खरीदारी का कार्य किया जा रहा है, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उक्त ३ जिलों में भी मारकेटिंग विभाग के कुछ क्रय केन्द्र खोले जा सकते है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम द्वारा आगरा, बरेली मन्डलों के सभी जिलों तथा मेरठ मन्डल के ५ जिलों तथा नैनीताल जिले में खरीदारी का कार्य किये जाने की व्यवस्था की गई है।

इस उद्देश्य से कि किसानों को उनके गेहूं का समर्थन मूल्य अवश्य मिले, इस वर्ष यह आदेश भेजे गये हैं कि सभी क्रय एजेन्सियां पचुर संख्या में क्रय केन्द्र खोलें तथा यथासम्भव किसान को अपना खाद्यान्न बेचने के लिये कहीं भी १० किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े।

गेहूं की खरीदारी के सम्बन्ध में बिचौलियों की भी समस्या रहती है। इस सम्बन्ध में अनुभव यह रहा है कि किसानों द्वारा क्रय केन्द्रों पर लाये गये खाद्यान्न के बारे में उनके उत्पादक होने का प्रमाण–पत्र जैसे जोत–बही, लगान की रसीद अथवा खसरे का इन्तखाब आदि के दिखाने पर बल दिये जाने से अन्ततोगत्वा किसानों को ही परेशानी उठानी पड़ती है और उनका खाद्यान्न बिचौलियों के माध्यम से बिकने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एक तो अधिकतर किसानों के पास उक्त प्रमाण–पत्र सुगमता से उपलब्ध नहीं होते दूसरे बहुत से किसान बीमारी आदि परिस्थितियों में मजबूर होकर अपना खाद्यान्न क्रय केन्द्रों पर स्वयं न लाकर दूसरों के हाथ बेचने के लिए भेज देते हैं। किसानों द्वारा बिचौलियों को खाद्यान्न बेचने का वास्तव में मुख्य कारण यह होता है कि उनका खाद्यान्न क्रय केन्द्रों पर सरकारी गुणनिर्दिष्टयों के आधार पर खरीद हेतु अस्वीकृत हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आजकल जो गेहूं सामान्य या बोया जाता है, उसमें विजातीय तत्व की ही मुख्य अशुद्धियां होती हैं और यदि ऐसे गेहूं को दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलनों से साफ करा दिया जाय तो गेहूं निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो जायेगा और उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं रहेगा। इसके लिए मण्डी समितियों द्वारा प्रत्येक क्रय केन्द्र पर दो जाली वाले उपयुक्त

किस्म के छलने उपलब्ध कराये जाने हेतु व्यवस्था करने के निर्देश भेजे गये हैं और क्रय एजेन्सियों को यह निर्देश भी भेजे गये हैं कि क्रय केन्द्रों पर उत्पादक का खाद्यान्न खरीद हेतु यथासम्भव अस्वीकृत न किया जाय ताकि उत्पादकों को विवश होकर बिचौलियों की शरण में न जाना पड़े ।

समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा रबी खरीद की प्रगति की समीक्षा एवं उनके समन्वित ढंग से कार्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक खरीदारी वाले जिले में जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति एवं उनके नियंत्रण में ए "सेल" की स्थापना के आदेश दिए गए हैं । खाद्य आयुक्त कार्यालय के मुख्यालय पर भी एक खाद्य कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर खरीदारी की व्यवस्था की समीक्षा करने व क्रय एजेन्सियो के समन्वित ढंग से कार्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सचिव की अध्यक्षता में "रबी मानीटरिंग समिति" का भी गठन किया गया है जो समस्त क्रय एजेन्सियों के प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सप्ताह में दो बार बैठकें करती है ।

प्रदेश में गेहूं के खुले बाजार भावों पर भी बराबर निगाह रखी जा रही है और यदि किन्हीं स्थानों पर गेहूं के बाजार भाव समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिरने की सूचना मिलती है तो वहां तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश भेजे जाते हैं । मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में दिनांक ४ मई, १९७९ को गेहूं का थोक औसत मूल्य ११४.८६ रु० प्रति क्विंटल था जो लगभग समर्थन मूल्य के स्तर पर है

यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष गेहूं खरीददारी की बेहतर व्यवस्था के कारण दिनांक ४ मई, १९७९ तक प्रदेश में समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा १,६२,८५३ मी० टन गेहूं की खरीददारी हो चुकी है जबकि गत वर्ष उक्त तिथि को केवल ७२,५२८ मी० टन की खरीददारी हुई थी । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं की खरीददारी दुगुने से भी अधिक हुई है ।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर स्पष्टीकरण तो हो नहीं सकता । अगर बहुत आवश्यक हो तो ठीक है । लेकिन यह परम्परा नहीं बनेगी ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

बहुत आवश्यक है ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

आज तो आपके पास काफी समय है । मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इन्होंने दो छलनी प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर रख दीं । शायद मन्त्री जी के ज्ञान में यह शिकायत आई हो या न आई हो, लेकिन यह शिकायत है कि आपके जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं, वे दूसरे किस्म के गेहूं का तो पैसा दे देते हैं किसान को, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड वाला है, उसको वे उसी में मिलाकर अपने डिपो में भिजवाते हैं । यह जो गड़बड़ी हो रही है, इसको रोकने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, दो छलनी रखी हुई हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ जौ की मात्रा अधिक है, उसके लिए हमारे अधिकारी वहां बैठे हुये हैं जो उसकी जांच करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

नेगी जी, आप जरा अपनी बात साफ कर दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, शिकायत यह है कि छलनी आपने रखी हैं। आपने गेहूं के दो ग्रेड रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकेन्ड ग्रेड। आपके कर्मचारी क्या करते हैं कि किसान को सेकेन्ड ग्रेड का पैसा दे दिया और सेकेन्ड ग्रेड का गेहूं फर्स्ट ग्रेड में मिला दिया। तो आम कन्ज्यूमर को तो आप दोनों का मिला हुआ देते हैं और किसान को सेकेन्ड ग्रेड का पैसा मिलता है। आप इसको दूर करने के लिए कौन से उपाय कर रहे हैं ?

श्री मलिखान सिंह--

इसके लिये जिला स्तर पर हमारे अधिकारी चेकिंग करते हैं और खाद्य निगम के द्वारा भी एक क्वालिटी इंसपेक्टर रहता है। यदि हम खराब खरीद लेंगे तो खाद्य निगम उसे रिजेक्ट कर देगा। इस बारे में यदि कहीं की कोई निश्चित शिकायत हो तो उसकी जांच भी की जा सकती है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

अपने वक्तव्य के छठे पैरा में मन्त्री जी ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं के खुले बाजार भावों पर भी बराबर निगाह रखी जा रही है। क्या मन्त्री जी को मालूम है कि फर्रुखाबाद जिले में ८०-८५ रु० क्विंटल गेहूं बिक रहा है ? सरकारी खरीद एजेन्सियों पर खरीद इसलिए नहीं हो रही है कि बोरे नहीं हैं और रुपया नहीं है ? व्यापारी लोग यही गेहूं बाजार में सस्ते भाव पर खरीद रहे हैं ? इसकी कोई व्यवस्था हो रही है कि वहां रुपया पहुंचे और बोरियां पहुंचे ?

श्री उपाध्यक्ष--

खाद्य मन्त्री जी, आप बोरों की व्यवस्था के बारे में बता दीजिए।

श्री मलिखान सिंह--

अभी तक जैसा आपको बताया है, १३-१४ लाख के करीब खरीद हो चुकी है और हमने ४६ लाख बोरे सभी एजेन्सियों को पहुंचा दिये हैं जो १० दिन तक के लिए पर्याप्त हैं। जो ऐसी बात कही जा रही है कि ८५ और ९० रु० में गेहूं बिक रहा है, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि औसतन ११४ रुपये का भाव जा रहा है। इससे नीचे जहां भाव जा रहा है, उसकी हम जांच करा लेंगे। माननीय सदस्य लिखकर भेज देंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं नैनीताल जिले की बात बताता हूं। काशीपुर, सतारा, नैनीताल जितने वहां क्रय केन्द्र हैं, वहां गेहूं बोरों में भर दिया गया है, लेकिन उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात वहां पर तमाम गेहूं पड़ा हुआ है, क्योंकि बोरे नहीं हैं। तीसरी बात गेहूं खरीद लिया

गया है, लेकिन पैसा नहीं है । तीन समस्यायें वहां पर हैं । क्या माननीय मन्त्री जी इन तीनों समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, यह जो ९ जिले पश्चिमी हैं, उनमें बरेली मन्डल भी आता है, उनको हमने तीन लाख बोरे कल शाम को ही वितरित कर दिए हैं । हो सकता है इनको एक दिन पुरानी खबर हो ।

श्री देव बहादुर सिंह--

पैसे की व्यवस्था ।

श्री मलिखान सिंह--

पैसे की व्यवस्था हमारे यहां से समुचित है, हर जगह, हर बैंक में इसकी व्यवस्था है । कुछ बैंक कठिनाई उपस्थित कर देते हैं तो सूचना मिलते ही हम बैंक वालों से मिल कर के व्यवस्था करते हैं । जितना खरीदा गया है, उससे ज्यादा पैसा दे दिया गया है ।

श्री दिवाकर बिक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि १५ अप्रैल से खरीददारी प्रारम्भ हो गई है । बस्ती जनपद के निधोली क्रय केन्द्र महुवा सरकारी समिति में खोला गया है । १ मई तक उस केन्द्र पर कोई खरीददारी का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था । क्या माननीय मन्त्री जी व्यवस्था करायेंगे कि वहां अविलम्ब खरीददारी प्रारम्भ हो जाय ?

श्री मलिखान सिंह--

यदि वहां खरीददारी शुरू नहीं हुई है तो मैं आज ही पूछकर के माननीय सदस्य मेरे कमरे में आयेंगे, तो मैं बता दूंगा ।

श्री दीप नरायन (जिला गोन्डा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी नियम ३०१ में सूचना दी थी । गोन्डा में गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीददारी नहीं हो रही है, ब्लाकों और तहसील पर होती है बाकी जगहों पर कोई कार्य नहीं हो रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि गोन्डा जिले में खरीददारी नहीं हो रही है आज ही तत्काल आदेश भेज कर खरीददारी शुरू करवा दें ।

श्री मलिखान सिंह--

मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि १० किलो मीटर पर खरीददारी की व्यवस्था कर दी गई है । मेरी कन्स्टीटुएन्सी मिली-जुली है, मठधाना से फिरोजाबाद २५ किलो मीटर के फासले पर है । इस बीच में एक भी क्रय केन्द्र खुला नहीं है । क्या दस किलो मीटर पर क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे । दूसरी बात मुख्यालय फिरोजाबाद २५ किलोमीटर दूर है यदि

[श्री रघुवर दयाल वर्मा--]

वहां शिकायत को जाय तो वहां पहुंचते-पहुंचते तीन दिन लग जायेंगे, बड़ी परेशानी हो जाती है । क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को सूचना दे दी गई है । माननीय सदस्य ने शायद वहां जिला स्तर पर सम्पर्क किया हो तो उस जगह अब तक खुल गया होगा । माननीय सदस्य ने जो स्थान बताये हैं, वहां १० किलोमीटर पर सेन्टर खुल जायेगा । जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, वह तो जिला स्तर पर ही सम्भव है कि वह कोई गठित कर दें । टेलीफोन पर सूचना दे देंगे । फिरोजाबाद के अधिकारी नहीं आये थे, हम वहां सूचना भेज देंगे ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मेरठ जिले में मैंने देखा है कि किसानों का गल्ला केन्द्रों से वापस हो जाता है तो व्यापारी उसे खरीद लेते हैं । व्यापारियों से सांठ-गांठ करके उसे खराब बतला दिया जाता है । तो इस समस्या को क्या माननीय मन्त्री जी हल करेंगे ? इसके अलावा पैसा काश्तकार को तुरन्त नहीं मिलता, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

शासन के आदेश गये हैं कि चेक कटते ही काश्तकारों को पेमेन्ट कर दिया जाय । जहां तक गल्ले की खरीददारी का सवाल है विधायकों को भी एक पत्र भेजा गया है कि वह किसानों को एजूकेट करें कि हमारे केन्द्रों पर वे गल्ला लायें और क्रय एजेन्सियों से कह दिया है कि वे प्रचार करें कि ११५ रु० पर वे क्रय करेंगी । इसके बाद भी अगर किसान अपने गल्ले को कहीं ले जाय तो उसे कौन रोक सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से मैं यह कहूंगा कि नीति के प्रश्न तो वे पूछ लें, लेकिन क्षेत्रीय समस्यायें जो हैं, उनके बारे में मन्त्री जी को लिखकर भेज दें ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

फैजाबाद जनपद में आधे से अधिक केन्द्रों पर खरीद नहीं हुई तो इस कम खरीद के लिए कौन जिम्मेदार है और शासन ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री मलिखान सिंह--

यह सही है कि सबसे कम खरीद हुई है बनारस मन्डल में, उसके बाद झांसी मन्डल में और उसके बाद फैजाबाद में । जैसे ही इन तीनों मन्डलों की पोजीशन मालूम हुई मैंने तुरन्त विभाग को आदेश दे दिये पता लगाने के लिए कि वहां खरीद कम होने के क्या कारण हैं, गेहूं कम पैदा हुआ है या केन्द्र कम है और विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

पूरे प्रदेश में खाद्य समितियां भंग हो गयी हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में सभी अधिकारी निरंकुश हो गये हैं तो क्या खाद्य मन्त्री जी प्रत्येक क्षेत्र में कुछ उड़न दस्तों की व्यवस्था करेंगे और स्वतः खाद्य मन्त्री उन उड़नदस्तों के दलपति बनकर उनका संचालन करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

५ मन्डल के जिलों को टच करके उनके एक-एक केन्द्र को देखकर आया हूं । यही कारण है कि पिछली बार से इस बार दूनी खरीद वहां हुई है और विभाग सक्रिय है । जहां तक खाद्य समितियों का सवाल है वे शीघ्र गठित हो जायेंगी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हमने अपना खाद्य सेल लगा रखा है और जितने कमिश्नर हैं वे पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और यहां कहीं भी कमी होगी, उसको दुरुस्त किया जायेगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने जो अपने वक्तव्य के ४ भाग किए हैं और कहा है कि किसानों को गेहूं लाने के लिए यह प्राविधान था कि वह अपनी जोत-बही और पास-बुक साथ में लाये ताकि बिचौलियों को अवसर न मिल सके और किसानों को सुविधा होगी, किन्तु फिर भी वहां पर बिचौलियों को अवसर मिला । दूसरा प्रश्न यह है कि बदायूं जनपद में बोरों का अभाव रहा, जिससे कि किसान का गेहूं नहीं खरीदा जा सका ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य बदायूं के हैं । मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद बरेली मन्डल में हुई है । वहां पर ४७,७७८ मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है । यह कहना गलत है कि खरीद नहीं हो रही है । यदि कोई कठिनाई हो तो माननीय सदस्य बता दें, मैं उस स्थान पर जांच करा लूंगा । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमने किया है कि यदि किसान अपने साथ जोत-बही या पास-बुक ले आये तो उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी । इसलिये जो अधिकारी वहां पर है, खन्ड विकास अधिकारी, वह देखता है और वाच करता है कि किसान है तो उसका गल्ला ले लेता है । जोत-बही वह ले आये तो बहुत अच्छा है ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मान्यवर, मेरा प्रश्न एक और था.....।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके प्रश्न की दोनों बात उन्होंने साफ कर दी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष जी, कई बार उठने-बैठने के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । मान्यवर, जहां गेहूं की खरीद हो रही है, वहां एक किलो का बाट एक क्विंटल के पीछे लगा लेते हैं और एक किलो बोरे का वजन होता है । इस प्रकार एक क्विंटल १०२ किलो तौला जाता है । दूसरी बात यह है कि मन्डी समिति में जो तुलाई हो रही है वहां पर ५० किलो के बाट के बजाय वह ५२ किलो पड़ जाता है । इस सम्बन्ध में शिकायत भी की गई है । ५० किलो के बाट में २ किलो का शीशा लगाय है, तो इस सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मलिखान सिंह--

यह कहना गलत है कि एक किलो का बांट रखा जाता है। बोरे के लिये बोरा ही रखा जाता है पीछे की तरफ नाप के लिये। जहां तक शीशा रखने की बात है, माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है और यह सूचना वे मुझे अलग से देंगे तो इसकी जांच करा लूंगा। इसके अतिरिक्त मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सुल्तानगंज क्रय केन्द्र का मैंने स्वयं निरीक्षण किया था और उसमें जो व्यक्ति दोषी पाये गये, उनको मैंने सस्पेंड किया और कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई और सूचना हमें मिलेगी तो हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अच्छे काश्तकार होते हैं वे नयी फसल आने तक अपने घर में पर्याप्त गेहूं रखते हैं। जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक उनके पास पहले का गेहूं रहता है।

हमारे क्षेत्र के अनेक केन्द्रों पर जो पुराना गेहूं काश्तकार रखे हुए था और जिसे वह नया गेहूं पैदा होने के बाद लाता है उसे वहां से वापस कर दिया जाता है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कोई निर्देश आपके यहां से दिये गये हैं कि पुराना गेहूं खरीदा जाय। अगर नहीं गये तो क्या मंत्री जी उन केन्द्रों को आवश्यक निर्देश भेजेंगे कि अगर कोई पुराना गेहूं लाता है और यदि वह खराब नहीं है तो उसकी खरीद रोकनी नहीं चाहिये।

श्री मलिखान सिंह--

यह योजना छोटे किसानों के लिए है, बड़े किसान तो स्वयं रख लेते हैं और उनको मैं समझता हूं कि जनवरी फरवरी में जब भाव १३० रु० था तब बेच लेना चाहिये था लेकिन वह रखे रहे इस आशा से कि शायद भाव ज्यादा बढ़ जाय। यह संभव नहीं है। यह तो केवल समर्थन योजना है यदि उत्पादन मूल्य से कम मूल्य मिलता है तो गेहूं खरीदा जाय। इसलिए पुराने गेहूं को लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। नया जो आयेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में काफी हो गया अगर कोई सुझाव हो तो वह भेज दें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी तरफ से इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को कितनी बार कसरत करनी पड़ेगी तब जाकर आपका ध्यान उसकी ओर जायेगा। कम से कम २० बार मैंने कसरत की और आपका ध्यान नहीं गया। यह जो आपका पक्षपातपूर्ण रवैया जो है इसके खिलाफ मैं आज के लिए वाकआऊट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो आपका कहना है 'पक्षपातपूर्ण रवैया' इसको आप वापस लें।

श्री देव बहादुर सिंह--

कसरत स्वास्थ्य के लिए अच्छी है लेकिन इतनी ज्यादा न कराइये कि वह थक जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बताइये कि करीब २० मिनट हो चुके हैं तो क्या आप पूरे एक घंटे की चर्चा इस पर करना चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

हर सदस्य की कोई न कोई मर्यादा होती है आप उसका ख्याल नहीं करते हैं। २० बार कसरत करवायेंगे तो उसका हौंसला खतम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा आप पूछ लीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

अब आपने पूछना बन्द कर दिया है।

आलू के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

(कृषि मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(कृषि मंत्री) श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस लिस्ट में जो १४वां आईटम आलू के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में श्री देव बहादुर सिंह की एक घंटे की चर्चा रखी गई है उसको पहले ले लीजिये। मेरे ख्याल में देव बहादुर सिंह जी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे अभी ले लें और जो विषेयक हैं उन्हें बाद में ले लिया जाय इस पर किसी को आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आलू के मूल्य के बारे में पिछला सत्र जब चल रहा था उस वक्त आया था यह बहुत ही उपयोगी सवाल था तब मैं चाहता था कि इस पर चर्चा हो जाय क्योंकि सारे प्रदेश में हा-हाकार मचा था। दुर्भाग्य यह है कि जब किसान के पास कोई चीज ज्यादा पदा हो जाय तो उसकी व्यवस्था करने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। पिछले वर्ष से हम देख रहे ह जब गन्ना बहुत पैदा हुआ तो उसकी व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पाई। इस वर्ष आलू अधिक पैदा हो गया तो उसकी भी व्यवस्था करने में सरकार पूर्णरूपेण अक्षम रही जिससे किसानों को असीम क्षति हुई है।

मान्यवर, इस प्रदेश में तीन लाख हैक्टेयर भूमि में आलू की खेती की जाती है और पिछले वर्ष ३५ लाख टन आलू इस प्रदेश में पैदा हुआ लेकिन इस वर्ष वह ४५ लाख टन पैदा हो गया इस तरह से १० लाख टन की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष जब आलू ३५ लाख टन पैदा हुआ तो उत्पादन के दिनों में उसका बाजार मूल्य ५० रु० प्रति क्विंटल था और इस वर्ष जब आलू किसानों के खेतों से निकल रहा था उस समय आलू की कीमत कहीं ८ रु० कहीं १२ रु० और कहीं १३ रु० प्रति क्विंटल रही और उत्पादन व्यय जो है वह है ३५ से लेकर ४५ रुपया प्रति क्विंटल। इस तरह से उसे प्रति क्विंटल पर २० से ३० रुपये तक का घाटा लग रहा है। इसका कारण यह है कि इन्होंने आलू की खरीद के बारे में जो आदेश भेजें, उसका कहीं पालन नहीं किया गया। प्रदेश में फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है, किन्तु अब अन्य अंचलों के किसान

[श्री देव बहादुर सिंह]

भी उसकी अधिकाधिक खेती करने लगे हैं, इसलिए १० लाख टन की उसकी वृद्धि हुई। जो शीतगृह हैं, उनका रेट सरकार द्वारा निर्धारित है, लेकिन उसके दुगुने रेट पर नम्बर दो खाते में लिखकर उनका आलू वहां रखा जाता है, नम्बर--१ में तो वह सही रेट लिखते हैं। रेल वैगन की व्यवस्था इतनी खराब है कि जितने पिछले साल मिले, उसके एक तिहाई और एक चौथाई भी इस बार नहीं मिले हैं जिससे आलू को अन्य स्थानों पर भी नहीं भेजा जा सका। मैदान में जब आलू पैदा होता है, उस समय पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो जिस समय यहां पर २०-२५ में आलू बिक रहा था, वहां पर १०० रुपये में बिक रहा था। तो वैगन की कमी से वहां आलू भेजना सम्भव नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ जब वहां का उपभोक्ता लुट रहा था तो यहां का किसान उजड़ रहा था। इस बारे में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा किसानों से आलू खरीद का निर्णय लिया गया था, जिससे आलू की बर्बादी रुक सके।

हमारे रुद्रपुर, जिला नैनीताल के लिए भी यह तय हुआ था कि कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा १५ फरवरी, १९७९ से आलू की खरीद की जाएगी। उसके बाद न तो कोई उसके सेन्टर्स खुले और न उसका कोई खरीद किया गया। खरीद भाव क्या था ? बाजार भाव से केवल एक रुपया अधिक। हम यह चाहते हैं किसान का जो उत्पादन व्यय है, उसमें कुछ जोड़कर या कम से कम इतना तो अवश्य उन्हें मिलना चाहिए। आलू के निर्यात की बात कही गई और उसके लिए कोई खास आलू लेने की बात की गई। लेकिन उसके खरीद की भी हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। नियम ५२ में व्यवस्था है कि मंत्री जी जो वक्तव्य देंगे, उसकी प्रतियां हम लोगों को पहले बंटवा देंगे, लेकिन वह भी हमको नहीं मिलीं। नियम ५२ के वक्तव्य की कापियां हमेशा बांटी जाती हैं मंत्री जी बताएंगे कि वह क्यों नहीं इसमें बांटी गई और तैयार है या नहीं ? कोआपरेटिव फेडरेशन का पिछले दिनों जो रवैय्या रहा है, उसके बारे में जानना चाहता हूं कि किसने उसकी तरफ से आलू की खरीद के आदेश दिए और फिर उसने उनका पालन क्यों नहीं किया ? पिछले साल में फर्रुखाबाद में ५९२ हजार वैगंस की व्यवस्था की गई थी, किन्तु उसके विपरीत इधर केवल २-ढाई हजार वगंस ही पहुंच पाये हैं।

आलू किसान के घर में पड़ा हुआ सड़ रहा है। शीतगृहों में स्थान नहीं है। कोई खरीद नहीं हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी व्यवस्था अब भी वह कर रहे हैं जो आलू उपलब्ध है उसका उचित मूल्य किसानों को मिले। ४५ लाख टन प्रदेश में आलू पैदा हुआ। दूसरे अंचल में हजारों एकड़ में झुलसा के प्रकोप से आलू बरबाद हो गया। उसके बचाव, रक्षा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उनके पास प्लांट प्रोटेक्शन विभाग है जिससे छिड़काव करके आलू बचाया जा सकता था। कुछ नहीं हुआ। न सरकार ने उत्पादित आलू का उचित मूल्य दिलवाने का प्रयत्न किया। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने कोई व्यवस्था की है। सदन को बता दें, फिर मैं जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले कृषि मंत्री बोल लेंगे। उसके बाद अन्य सदस्य बोलेंगे।

श्री शिव मंगल सिंह---

अच्छा होगा माननीय सदस्य बोल लें, अन्त में मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नियम की बात है । पहले प्रस्तावक बोले । अब आप बोलेंगे । फिर और माननीय सदस्य जो बोलना चाहें, तो बोलेंगे । उसके बाद अन्त में उत्तर देने का आपको मौका मिलेगा । आप पहले बोल लें । उसके बाद फिर माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

अन्त में उनका उत्तर हो । हम लोगों की बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

बाद में उत्तर देंगे । लेकिन नियम यह है कि माननीय मंत्री का उत्तर आ जाना चाहिए, प्रस्ताव के बाद ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस वर्ष हमारे प्रदेश में आलू की पैदावार सर्वाधिक हुई है और जब कोई भी पैदावार काफी अधिक मात्रा में होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं । जहां तक आलू का सम्बन्ध है यह एक कटु सत्य है कि फर्रुखाबाद उसका बहुत बड़ा प्रमुख केन्द्र है । वहां पर जितने वैगंस हम को चाहिए थे, आलू भेजने के लिए, आसाम में ज्यादा मार्केट होता है, उतनी संख्या में वैगन्स उपलब्ध नहीं हुए । ऐसी बात नहीं थी कि सरकार ने कोशिश नहीं की । हम लोगों ने अनेक बार भारत सरकार से अनुरोध किया, रेल मंत्री से बात की, माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं रेल मंत्री से इस विषय में बात की । उन्होंने आश्वासन भी दिया । लेकिन यह बात सही है कि जितना उन्होंने आश्वासन दिया पूरे तौर से वैगन नहीं आ पाये । परिणाम यह हुआ कि जितना आलू बाहर जाना चाहिए वह नहीं जा पाया । फिर भी हम प्रयत्नशील हैं कि अधिक से अधिक वैगनों की व्यवस्था करें और जितनी जल्दी हो सके आलू को दूसरे प्रदेशों में भेजें ।

आलू की समस्या के सम्बन्ध में दो मुख्य बातें हैं । एक तो आलू बाहर भेजा जाय और दूसरे इसके स्टोरेज की । अब तक जितने हमारे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं वह एक बढ़ते हुए उत्पादन के संदर्भ में समुचित नहीं हैं । मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि अब हमारी सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि हम अगले वर्षों में दो सौ नये कोल्ड स्टोरेज चार हजार टन की क्षमता के बनायेंगे जिससे ८ लाख टन क्षमता बढ़ जायगी । इससे काफी समस्या का समाधान हो जायेगा । अगले वर्ष कोई विशेष कठिनाई पैदा नहीं होगी स्टोरेज के सम्बन्ध में यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है । अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं जब कठिनाईयां और मुसीबतें आ जाती हैं । कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने जब देखा कि आलू का उत्पादन अधिक हो गया है तो उन्होंने उसका अनुचित लाभ उठाना चाहा । बहुत से कोल्ड स्टोरेज की शिकायत आयी कि उन्होंने मसले से फर्जी आरक्षण कर लिया और जब किसान आलू लेकर गया तो उससे कहा कि उनके पास जगह नहीं रह गयी है । इस प्रकार की शिकायत जौनपुर के कोल्ड स्टोरेज के बारे में मिली थी । मैंने ११४(२) के अन्तर्गत कार्यवाही की लेकिन वह उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से चले गये और वहां से स्टे ले आये । फिर भी मैंने सारे प्रदेश के जिलाधीशों से कहा कि वह इस सन्दर्भ में कड़ी कार्यवाही करें और किसानों का आलू वापस न किया जाये और उन्हें कोई कठिनाई न हो । मैंने यह सारी व्यवस्था की है ।

[श्री शिव मंगल सिंह---]

माननीय, इसका हल तभी हो सकता है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था समुचित रूप से की जाये। हमने अगले वर्ष २०० कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था की है। इससे बहुत कुछ सुविधा मिलेगी। जहां तक आलू के भाव गिरने का सवाल है जैसा कि माननीय देव बहादुर सिंह जी ने उठाया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब पैदावार होगी और उसका निर्यात नहीं होगा तो निश्चित रूप से भाव गिरते हैं। ४५ लाख टन का जो उत्पादन हुआ है उसमें ७ लाख टन के लगभग बाजार में चला जायेगा और ४ हजार टन के लगभग इधर-उधर में नष्ट हो जाता है। अगर आलू प्रदेश के बाहर नहीं भेजा जाता है तो निश्चित रूप से उसके दाम गिरेंगे। अभी माननीय देव बहादुर जी ने आलू के दाम बताये कि १२--१३ रुपये तक आलू बिका। मेरी जानकारी है २४--२५ रुपये बिका बीच में १८--२० रुपये हो गया था लेकिन वह कोई अधिक दिन नहीं रहा। आलू के खरीदारी का जहां तक सम्बन्ध है उसकी एजेन्सी पी०सी० एफ० है। शासन ने आलू की खरीदारी के लिए पहले ही ५० लाख रुपया उनको दे दिया है। उनको बैठक बुलायी और इस सम्बन्ध में कोई न कोई निर्णय अवश्य ही लेंगे।

जहां तक मुझे मालूम हुआ है उनसे बात हुई थी और मेरे पूर्व ही यह निर्णय हो चुका था कि जो भी बाजार भाव होगा उससे एक रुपया अधिक मूल्य पर वे लेंगे और इसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं। यह सारा विषय जो उत्पादन आदि से सम्बन्ध रखता है कृषि विभाग का है, लेकिन मार्केटिंग के सम्बन्ध में बहुत सारी एजेन्सी हैं। हर एजेन्सी पर हमारा उतना कन्ट्रोल नहीं है जितना होना चाहिये। इसलिये कभी--कभी जितनी लगन इन एजेन्सीज को दिखाना चाहिये हमारी इच्छा के अनुसार वे यह नहीं दिखाती हैं। लेकिन मैंने इनसे कहा है कि वे अधिक से अधिक आलू खरीदें। फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर, जहां-जहां भी आलू अधिक पैदा होता है, मैंने कहा है, वहां अधिक से अधिक आलू की खरीद की जाये। मुझे सूचना मिली है कि पिछले वर्ष जहां २,७७२ मैट्रिक टन आलू की खरीद हुई थी, इस वर्ष ३,९२९ मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। २०० मैट्रिक टन की खरीद इलाहाबाद मंडल के द्वारा हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले खरीद दुगुनी खरीद हो जायेगी। निर्यात की कमी के कारण भी है। जितना आलू प्रदेश के बाहर भेजना चाहिये वह नहीं जा पा रही है। यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके लिये हमारी मजबूरियां हैं। केन्द्रीय सरकार से हमने कोशिश की है कि अधिक से अधिक रेलवे वैगन हमें मिल सकें। तो इन-इन मुख्य-मुख्य बातों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय देव बहादुर सिंह जी संतुष्ट होंगे।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

माननीय, जब से यह सरकार आयी है, कृषि मंत्रालय की विज्ञापन शाखा और सूचना विभाग की विज्ञापन शाखा द्वारा जो भी छोटी-छोटी पत्रिकायें छपती हैं उनके द्वारा हर चीज का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। किसान उत्पादन बढ़ाता है। उसका जब उत्पादन बढ़ता है तो यह गति होती है जो आज हम आलू की देख रहे हैं। पिछले वर्ष गन्ने का इतना उत्पादन बढ़ा कि किसान को गन्ना जलाना पड़ा, बेचना तो दूर रहा। तो यह सरकार उत्पादन बढ़ाने की तो बात करती है मगर उसको कैसे खपाया जाये उस पर कभी विचार नहीं करती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादन बढ़ाने के पहले ही इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि उसकी खपत कैसे की जायेगी । जब उत्पादन बढ़ जाता है तब यह सरकार हाथ पैर मारने शुरू करती है । किसान को जोश दिला देते हैं, चढ़ जा सूली पर राम भला करेंगे, उससे उत्पादन बढ़ाने को कहते हैं, फिर उसकी उपज की खपत के लिये कुछ नहीं करते ।

अटल बिहारी बाजपेयी जो ने कहा कि चूंकि दालों के दाम बहुत बढ़ गये हैं इसलिये आलू का उत्पादन अधिक कीजिये । जब आलू का उत्पादन हो गया तो किसान को उसका मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है । अब आप आश्चर्य करेंगे कि एक यहां नोटीफिकेशन हुआ कि ३ फरवरी, १९७९ से आलू खरीदें और दाम भी निश्चित कर दिये गये ४५ रुपये क्विन्टल । आलू की फर्रुखाबाद में स्थिति यह है कि ५० हजार बोरा शीत गृहों के बाहर सड़ रहा है । श्रीमन्, जिसका उत्पादन मूल्य ४०, ५० रुपये क्वींटल हो और बिके १२ रुपये, तो किसान कैसे जिन्दा रहेगा ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ३, ४ साधन हैं आलू को खपाने के । पहला साधन है इस प्रदेश का आलू दूसरे प्रदेश में भेजा जाये । दूसरा इस तरह की फैक्ट्रियां लगाई जाये जो चिप्स आदि बना सकती हों, अल्कोहल बना सकती हों लेकिन मंत्री जी ने सहानुभूति तो बहुत दिखाई परन्तु पंजाब में जब आलू का उत्पादन बढ़ गया था तो किसानों का लगान, विद्युत की दरें, ऋण आदि माफ किये गये थे । बुनियादी प्रश्न यह है कि किसानों को हम राहत क्या दे सकते हैं । मैं कहूंगा कि दूसरे प्रदेशों में जहां आलू की कमी हो, भेज दें । रेलवे वैगनों के बारे में इस प्रदेश का कोई भी असर नहीं है, केन्द्र पर । यानी आलू को बाहर भेजने के लिए वैगन भी नहीं मिले और अगर किसी ने धरना दिया तो जेल भेज दिया गया । एक तो आलू का मूल्य निर्धारित करें, दूसरे जो लगान आदि, विद्युत की दरों में कुछ माफीनामा करें ।

अगर कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में आलू ले जाये तो क्या नीति है ? किसान तो मर रहा है लेकिन एक रुपया चुंगी वाले ले लेते हैं, तो चुंगी न ली जाये किसानों से, ऐसी घोषणा की जाये ।

शीतगृहों की बात है । जितने शीतग्रह प्राइवेट सेक्टर के हैं उनकी स्थिति यह है कि, मैंने एक कागज दिया कि लोगों से रिश्वत ली जा रही है रखने के लिए और उस रखने का मूल्य भी एडवांस में लिया जा रहा है । इनके लिये या तो कोई कारपोरेशन बनायें, अपनी तरफ से योजना तैयार करें और उनका निर्माण सरकारी स्तर पर करायें । जब आप भवन बना सकते हैं, विकास प्राधिकरण, आवास विकास बना सकते हैं तो इनका भी कारपोरेशन बना दें ।

लास्ट में मुझे जो बात कहनी है वह यह कि श्रीमन्, आप जब भी उत्पादन बढ़ायें, उसको खपाने की व्यवस्था पहले कर लें । अपनी अनुभवहीनता और बुद्धिहीनता का शिकार उस गरीब को न बनायें । कृषि मंत्री जो बड़े समझदार और अनुभवी व्यक्ति हैं जो भी अभियान चलायें पहले उस पर उचित तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ विशेषज्ञों के साथ बैठकर विचार कर लें । जिससे कि उत्पादन बढ़ने पर गरीब किसान का नुकसान न हो । गन्ने के सम्बन्ध में किसान मारा गया, आलू के बोने पर किसान मारा गया, हो सकता है कि दूसरी चीज में वह मारा जाय इसलिये इधर ध्यान देने की जरूरत है । मैं नहीं कहता हूं कि उत्पादन न बढ़ायें लेकिन उसके खपाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मैं कृतज्ञ हूं कि आपने यह समझा कि हमारे यहां भी किसान रहते हैं। ऐसा लगता है कि किसानों की तबाही का दामन हमारे शिव मंगल सिंह जी से सीधे जुड़ गया है। पिछले साल गन्ना मंत्री थे तो गन्ने की तबाही सारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुयी उसको सभी जानते हैं। सड़कों पर गन्ना फूंका गया और खेतों मे फूंका गया। उसका एक तरीका किसान ने निकाला कि गन्ने का उत्पादन कम करके आलू का उत्पादन बढ़ाया जाय। इस साल उसने आलू का उत्पादन बढ़ाया तो वह भी अध्याय आपके साथ जुड़ गया। लगभग ८३ हजार टन आलू हरदोई में पैदा हुआ। लेकिन उसमें से तमाम बोरे सड़क पर सड़ गये। कुछ लोगों ने आलू को खेत में जुतवा दिया। जितने किसान पहले आलू खोद कर शीतगृहों में ले गये वह भी कम परेशान नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में कोई शीत-गृह नहीं है। इसी तहसील में एक शीतगृह है जिसकी क्षमता ४० हजार बोरों की है। किसान वहां पर रख ही नहीं पाये बिचौलियों ने सांठगांठ करके अपना काम किया। कुछ किसानों का लगभग १५ हजार बोरा आलू ही रखा गया और उनसे २ रुपये प्रति बोरा अलग से चार्ज किया जा रहा है पता नहीं कि दक्षिणा के स्वरूप में लिया जा रहा है या और किसी चीज का। जिले के सब अधिकारी जानते हैं कि २ रुपये फी बोरा लिया गया।

आपने कहा है कि जिलाधीशों को कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये गये हैं। अधिकारी जानते हैं कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर नहीं सकते हैं। किसान को लूटा जा रहा है। लेकिन आपके अधिकारियों के पास कोई शक्ति नहीं है कि जांच करके कार्यवाही कर सकें। पिछले साल का किसानों का बकाया शीत गृहों के ऊपर पड़ा है, शीतगृह वालों ने चाहे आलू बेच लिया हो या हो सकता है कि सड़ गया हो, लेकिन किसान को पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर, स्थिति नाजुक है, गेहूं के सम्बन्ध में कहना चाहता था इसलिये कि कृषि मंत्री भी आप हैं। गेहूं किसान पैदा करता है, मंत्री जी ने गेहूं खरीद के सम्बन्ध म बयान दिया था। लेकिन किसान लूटा जा रहा है। बिचौलिये ९०-९५ रुपये के हिसाब से गेहूं खरीद रहे हैं। किसान की गाड़ी नहीं तोली जाती है लेकिन बिचौलिये बेचते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आलू के बारे में कहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि किसान को गन्ने ने परेशान किया, आलू ने परेशान किया और आगे गेहूं परेशान करे इसकी सम्भावना हो सकती है। हरदोई जिले में आलू रखने का कोई केन्द्र नहीं है। जिले के अधिकारी चिन्तित हैं। कई बार उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने मुख्य मंत्री से कहा है कि २३ हजार टन जो आलू पैदा हुआ है उसका कुछ हिस्सा निकल जाय तो यह अच्छा है लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्रखाबाद में ५० हजार बोरा आलू सड़ गया। नैकेड में खरीद के समय ४५ रुपये क्विंटल की बात तय हुई थी लेकिन बाजार भाव ८ रुपये में हैं उसी भाव खरीदा। इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में है। हम चाहते हैं कि जहां आप किसानों के प्रति चिन्तित हैं वहां हरदोई के किसानों के प्रति भी चिन्तित हों तो अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी से मैं ३-४ बातों के लिये अनुरोध करूंगा । मान्यवर, आलू किसान की कैश क्राप है । जब कैश क्राप की खरीद अच्छे पैमाने पर सरकार नहीं कर पायेगी तो जो आलू उत्पादक किसान हैं उनमें एक निराशा की भावना पैदा हो जायेगी और कृषि क्षेत्र में कैश क्राप बरबाद होने से किसान की हालत खराब हो जायेगी । मंत्री जी किसान हैं । वह जानते हैं कि आलू पैदा होने से ४ समस्यायें पैदा होती हैं । एक तो यह कि क्या आलू का लागत मूल्य मिल रहा है कि नहीं । यदि लागत मूल्य नहीं मिल रहा है तो सरकार का दायित्व है कि उसको सपोर्ट प्राइज वह दे और वह प्राइज ऐसा हो जिससे किसान को कम से कम लागत मूल्य मिले और मुनाफा मिले । इस प्रकार आलू का उत्पादन मूल्य ५५ रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है, लेकिन सरकार ने ४५ रुपये क्विंटल खरीद का भाव तय किया है । इससे किसान को नुकसान होता है । इसलिये निवेदन है कि जैसे सरकार बीज का कीमत तय करती है कि उसे उत्पादन मूल्य और मुनाफा मिले उसी प्रकार किसान को आलू का दाम तय करना चाहिये । इसलिये जो ४५ रुपये प्रति क्विंटल का आलू का दाम है उसे बढ़ाकर ६० रुपये करना चाहिये और इसके लिये आज से ही प्रयास शुरु करना चाहिये ।

इसके बाद आलू को बाजार के बाहर भेजने की समस्या है । तो एक तो ट्रक से आलू भेजा जाता है और दूसरे रेलवे वैगन से । रेलवे वैगन में राष्ट्रीय संकट है, इसलिये, उसमें सुधार में उसमें देर लगेगी तो किसान को ट्रक से भेजना चाहिये । लेकिन उसमें चुंगी ८० पैसे प्रति क्विंटल देना पड़ता है । जब ट्रक से आलू किसान शीत गृह में रखने जायेगा और यदि बीच में नगर पालिका की चुंगी पड़ जाती है तो वहां भी किसान को ८० पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से चुंगी देना पड़ेगा और यदि किसान का आलू शीतगृह में न रखा गया तो लौटते समय भी उसको ८० पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से चुंगी दुबारा फिर देना पड़ेगा । इसलिये आप इस चुंगी को माफ करवायें ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि आलू उत्पादक को शीतगृह में आलू रखने के लिये २५ रुपये का लाइसेंस लेना पड़ता है जो कि जाइन्ट डाइरेक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्शन, आगरा या स्टेट गार्डेन सुपरिन्टेन्डेन्ट, आगरा द्वारा दिये जाते हैं । ये दोनों लाइसेंस तो दे देते हैं लेकिन, मान्यवर, ये कभी भी शीतगृह जाकर देखभाल नहीं करते कि जिस आलू उत्पादक ने लाइसेंस लिया है, उसका आलू रखा जा रहा है कि नहीं । जब किसान अपना आलू लाता है, तो उसी बीच में व्यापारी भी अपना आलू पहले से रख देता है । तो मेरा निवेदन है कि प्रशासन के जो आदेश हैं, उनके परिपालन की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । निर्धारित कोटा से भी ज्यादा देकर स्थान किसानों के लिये सुरक्षित नहीं हो पाता है । किसानों का आलू नहीं रखा गया, इसकी मैंने शिकायत भी की थी ।

शीतगृहों का कन्ट्रोल आपके हाथ में है । जिलाधिकारी ए० डी० ओ० को भेज देते हैं । ए० डी० ओ० व्यापारियों से मिलकर और शीतगृहों के मालिकों से मिलकर सौदा कर लेता है और किसानों की लूट होती है और उनको कष्ट होता है । और सही मायनों में किसानों का आलू नहीं रखा जाता । हमारे माननीय मलिखान सिंह के यहां का आलू हमारे यहां आ गया और शीतगृह वालों ने मारे डर के वह आलू रख लिया । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन यही हालत शीतगृहों के मालिकों की है कि जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तो उसका आलू रखा जायेगा और जहां देखते हैं कि प्रभावशाली नहीं है, वहां नहीं रखते और इस तरह से आज किसान की हालत खराब है । आपका जो

[श्री रघुवर दयाल वर्मा--]
नेफेड और सहकारी संघ है, जिसके जरिये खरीद की व्यवस्था करने को थी, इन्होंने भी बेईमानी की है । नेफेड वैगन की व्यवस्था करने के बजाय, सहकारी गोदामों का नाम लेते हैं कि वे ही आपका आलू खरीदेगा । किसान सहकारी संघ में पहुंच रहे हैं लेकिन नेफेड के लोग नहीं मिल रहे हैं । वे बेचारे तीन-चार दिन तक वहां पड़े रहते हैं । सभी जगहों की यही हालत है । आगरा में भी यही हालत है । नेफेड के लोग आपके नियन्त्रण में है और सहकारी संघ के लोग भी डायरेक्ट आपके नियंत्रण में हैं । ये दोनों संस्थायें आपके हाथ में हैं और ये ही आलू को न खरीदें, तो यह बड़े दुख की बात है । इसलिये आलू की खरीद के सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे वरना किसान इतना निरुत्साहित हो जायेगा कि आलू पैदा ही नहीं करेगा । मेरी अपनी जानकारी में ऐसे कई क्षेत्र हैं जैसे हमारे यहां नाला मवाशी का क्षेत्र है किसानों ने अपने आलू को उसी खेत में जोत दिया । इसलिये निवेदन है कि आलू उत्पादकों के लिये कुछ करना चाहिये । उनके लिये चिप्स की फैक्ट्रियां खोलवाइये और स्टार्च की फैक्ट्री खोलवाइये । अल्कोहल भी आलू से बनता है । ये तीनों फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में खोलवा दें तो जो आपके आलू को बाहर भेजने की समस्या है, उसको कन्ट्रोल कर सकते हैं । मैं आगरा के बारे में कहना चाहता हूं । ताजगंज में कुछ लोग चिप्स का काम करते हैं लेकिन शीतगृह की सुविधा उन्हें नहीं है । मेरा निवेदन है कि जो कुटीर उद्योग के रूप में काम करते हैं, उनके लिये यदि ऋण देने की सुविधा दी जाय तो निश्चित रूप से आलू की भारी खपत चिप्स, पापड़ के रूप में हो जायेगी ।

अब मैं अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में इस समस्या को सुलझाने के लिये यह आवश्यक होगा कि जो आलू उत्पादक किसान हैं, उनको बिजली और लगान आदि चीजों में कुछ राहत दे दें और बिजली, पानी और सिंचाई के शुल्कों को कुछ माफ कर दें, ताकि आलू के उत्पादकों को राहत मिल सके । एक यह भी निवेदन है कि जितना भी आलू शीतगृहों में रखा गया है, उसे बैंकों के ऋण के गारंटी दे दें तो निश्चित रूप से किसानों को आराम मिलेगा और जैसे कि फसलों के लिये बीमा का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी बीमा कर देंगे तो विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि नेफेड और पी०सी०एफ० की समस्या आपके सामने पैदा नहीं होगी और जो किसानों का आलू सड़ रहा है, वह समस्या पैदा नहीं होगी । यदि सही मायने में इसको कैश क्रप के रूप में बीमा कर दें, तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा । माननीय मंत्री जी इन सारी बातों के अच्छे ज्ञाता हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किसान को कुछ राहत मिलेगी । इन्हीं शब्दों के में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, सौभाग्य की बात है कि कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं और हमारे लोहिया जी के चेले लोग, किसान के बेटों के बारे में इनकी बड़ी-बड़ी उच्च भावनायें हैं कि अगर ये लोग गद्दी पर आयेंगे तो कुछ करेंगे । लेकिन आज किसान की क्या दशा है ? खास तौर से मंत्री जी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के रहने वाले हैं । मान्यवर, बहुत सी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने बतलायी हैं । खास तरीके किसान के सामने अपनी फसल पैदा हो जाने के बाद बेचने की एक अहम समस्या आ जाती है और आलू एक ऐसी फसल है कि उसको किसान अपने पास भी नहीं रख सकता । शीतगृहों के लिये मैंने अपने जिले में काफी प्रयास किया कि जो किसान आलू पैदा किये हुए हैं, वे सुविधाजनक तरीके से शीतगृहों में अपना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आलू रख सकें । लेकिन मान्यवर, हर किसान से ३ रु० बोरे पर ब्लैक लेकर तो यह शीतगृह वाले उनका आलू रखे । अब एक शीतगृह में अगर एक लाख बोरे रखने की क्षमता है तो सीधे ३ लाख रुपये तो उसको यों ही मिल गये । मान्यवर, शीतगृहों की लूट से इस साल किसान इतना परेशान हो गया है कि एक तरफ आलू का भाव गिर गया, दूसरी तरफ शीतगृहों में आलू ले जाने के बाद उनको फी बोरा २ रुपया, ३ रुपया देने की बात आई । उस समय भी हमने माननीय मंत्री जी को लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला ।

मान्यवर, अगर इस देश में हम सिर्फ विधान सभा में किसानों की बात करते रहेंगे तो इससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस तरह से आप गेहूं की खरीद करवा रहे हैं, उसी तरीके से आलू से बनने वाली वस्तुओं के कारखाने खुलवाकर बड़े पैमाने पर किसानों से आलू खरीदा जाए । हमारे देश का किसान आज भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करके अपना आर्थिक विकास करने के लालच में बहुत बड़ा कर्जा लादता जा रहा है और आज उसके सामने यह स्थिति पैदा हो गई है

(इस समय १ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए)

कि वह अपने खेत बेच दे या क्या करे, उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है । गन्ना पैदा हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, आलू पैदा हो गया उसको कोई पूछने वाला नहीं है, गेहूं के बारे में मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि गेहूं की बात आलू में कैसे आ गई ? लेकिन मैं तो मंत्री जी से चाहूंगा कि १५ अप्रैल तक जिन खरीद केन्द्रों पर खरीद का काम शुरू नहीं हुआ है, अगर सचमुच में आपके अन्दर किसानों के लिए तड़प है, तो आप उन खरीद केन्द्रों के जिम्मेदार लोगों से जवाब तलब करें कि १५ अप्रैल से खरीद क्यों नहीं शुरू हुई ? मुझे मौका मिलता तो मैं अपने जिले के बारे में बतलाता । गाजीपुर जिले में मैं बराबर जिलाधीश के यहां जाकर प्रयास करता रहा कि कागज में तो १५ अप्रैल को शुरू हो गई है परन्तु २५, २६, २७, २८ अप्रैल १ मई तक एक आध केन्द्र को छोड़ कर खरीद का काम शुरू नहीं हो रहा था । मैं चाहूंगा कि अगर कोई जन प्रतिनिधियों की कमेटी बना कर हम लोगों से सहयोग लेना चाहें तो बड़े पैमाने पर खरीद केन्द्रों में जो गड़बड़ी हो रही है या शीत गृहों में जो ब्लैक बाजारी होती है आलू रखने में और इस तरह किसानों को समय-समय पर जो लूटा जा रहा है उससे बचा जा सकता है ।

आप एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी गठित कीजिए और उनकी रिपोर्ट पर कुछ विश्वास कीजिए, जो रिपोर्ट वे देते हैं उस पर ऐक्शन लीजिए । मुझे पता ही नहीं चलता है कि सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं, इस सरकार से कोई डरता भी है या नहीं । मैं खुद आलू के विषय में जो अधिकारी नियुक्त हैं उनके पास गया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने आदमी भेजता हूं । मैंने लिख कर भी दिया लेकिन मान्यवर, आज तक पता नहीं चला कि लिख कर देने का कुछ असर हुआ या नहीं । उसके बाद मैंने मंत्री जी को भी लिखा लेकिन कुछ पता नहीं चला । इसलिए मैं अपने कृषि मंत्री से जरूर चाहूंगा कि किसानों को लूट से बचाने के लिए आप हर जिले में शीतगृहों के बारे में, खरीद के बारे में व्यवस्था करायें । मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान के बेटे हैं । किसानों को आलू का लाने वक्त और क्योंकि शीतगृह में रख नहीं पाते हैं इसलिए आलू को वापस ले जाते वक्त चुंगी देनी पड़ती है जिस प्रकार उनकी लूट होती है । इससे उनको

श्री जयराम---]

बचाया जाय । किसान अपने द्वारा उत्पादित फसल की बरबादी देख कर निराश सा, दुःखी सा दिखाई पड़ रहा है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं फर्रुखाबाद जिले से आता हूं । फर्रुखाबाद जिला इस प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है । श्रीमन्, हमने किसानों को बड़ा आश्वासन दिया था कि किसानों को उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा लेकिन किसान हमारे विश्वास पर बड़े दुःखी हैं और बड़े निराश हैं ।

आलू का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो जाना अस्वाभाविक नहीं था और सरकार ने आलू उत्पादन बढ़ाने के लिए हर प्रकार का सहयोग दिया था। लेकिन आज सरकार की सबसे बड़ी भूल यह हुई है कि उसने किसान से कहा था कि हम किसान का आलू खरीदेंगे और किसान ने अपना आलू रोक लिया इस आशा से कि सरकार खरीदेगी तो उचित मूल्य मिलेगा लेकिन सरकार ने कोई खरीद नहीं की । दूसरी भूल यह रही कि सरकार की तरफ से आवागमन की कोई सुविधा नहीं दी गई है । फर्रुखाबाद को पिछले साल के मुकाबले इस साल आधा वैगन मिला है । लोग आलू निर्यात करने में निराश हो चुके हैं । सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने आलू को निर्यात करने की है । किसानों के प्रतिनिधि लखनऊ, दिल्ली तक भागे वहां उन्होंने बार-बार रेलवे विभाग से भी वैगनों के लिए कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । निर्यात की कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकी और उनका आलू पड़ा रह गया । अंतिम उपाय यह था आलू को शीत भण्डार में रखा जाय । जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा आलू को भण्डारों में रखने में भण्डारों के मालिक मनमानी कर रहे हैं बड़े-बड़े व्यापारियों से सांठ-गांठ करके आलू शीत भण्डारों में रख लेते हैं जिससे छोटे काश्तकारों को अपना आलू शीत भण्डार में रखना मुश्किल हो गया है । उनसे एडवान्स रुपया लिया जा रहा है । यदि आप ग्राण्ड ट्रंक रोड से फर्रुखाबाद को गुजरें तो सैकड़ों आपको कोल्ड स्टोर मिलेंगे जिनके सामने आलू पड़ा हुआ है ।

श्रीमन्, एक उदाहरण दूं । कोल्ड स्टोरेज में चोर घुस गये । उन्होंने बोरे खोल कर आलू खाली किया और बोरे लेकर चल दिये और कहने लगे कि बोरे के पांच-छः रुपये मिल जायेंगे आलू के तो इतने भी नहीं मिलेंगे । इस प्रकार चोर भी बोरे ले गये लेकिन आलू नहीं चोरी किये । इस प्रकार आलू की ऐसी बरबादी हुई है जिसे किसान कभी भूल नहीं सकेगा । इस समस्या का समाधान करने के लिए आलू के चिप्स कहीं-कहीं तैयार होने लगे हैं । दिल्ली में ५, ६ रुपये किलो में बिकते हैं । छोटे-छोटे घरों में आलू को आधा उबाल कर चिप्स बनाने लगे लेकिन उसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है। सरकार अगर चिप्स के बाजार की उचित व्यवस्था कर दें तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा और आगे आने वाले वर्षों में यह उद्योग भी पनप जायगा ।

मैं एक गांव में देखने गया । वहां महिलायें ५ से १० रुपये तक चिप्स बनाने की मजदूरी कर लेती हैं । लेकिन चिप्स के लिये बाजार नहीं मिल पा रहा है । सरकार फर्रुखाबाद जनपद में जगह-जगह खरीद केन्द्र खोल कर उचित बाजार की व्यवस्था करे ताकि आलू के चिप्स बिक सकें । इससे आलू के उत्पादकों का बड़ा उपकार हो सकेगा । इसके अलावा खाद्य मंत्री जी ने अभी एक वक्तव्य दिया लेकिन गेहूं की खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है । केन्द्रों पर बिचौलिये रखे गये हैं । जिसका चाहते हैं गेहूं खरीदते, जिसको चाहते हैं भगा देते हैं । केन्द्र और मण्डी की खरीद में २५, ३० रुपये का अन्तर है । इसलिए मेरा निवेदन है कि

आलू में लुट हुए किसान को गेहूं में न लुटने दें क्योंकि गेहूं केन्द्र पर जहां ११५ रुपये में बिकता है वहां वह मण्डी में ८०, ८५ रुपये में बिक पाता है। इस ओर अगर मंत्री जी ध्यान देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिये एक घंटा निर्धारित है और १ बज कर २५ मिनट पर निर्धारित समय समाप्त हो जाता है। ५, ६ माननीय सदस्य बोलने को हैं। इसलिये आधा घंटे का समय और बढ़ा देता हूं। मेरा निवेदन है कि अब आप संक्षेप में बोलें क्योंकि आधे घंटे में भी इस तरह से यह पूरा नहीं हो सकेगा।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, आपके प्रति मैं अभार प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपको स्थायी रूप से वहां देख सकें।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं अपने को यहां नहीं देखना चाहता।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं श्री देव बहादुर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विस्तार से इस विषय पर चर्चा हेतु पहल की। हालांकि अब इस पर चर्चा करना मर्सिया पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है। चर्चा होने से मुमकिन है आगे आने वाले समय में किसानों को राहत मिल सके और इस चर्चा से सारी स्थिति पर सही असर पड़ सकेगा। इस शासन ने सबसे पहले नारा दिया था गांव की ओर चलो। चुनाव में दिया गया और अब भी दे रहे हैं। लेकिन अस्तित्व में आने के बाद सबसे ज्यादा कष्ट दिया है शासन ने तो किसानों को ही दिया है। सबसे पहले कष्ट दिया गन्ना किसानों को। आज भी वह रो रहा है। दूसरी मर्तबा कष्ट दिया आलू के किसानों को। सड़ गया आलू और खेतों से निकालने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और तीसरे गेहूं की खरीद केन्द्रों में गड़बड़ी हो रही है और रही-सही जो हालत है, वह वित्त मंत्री ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है, उससे और खराब स्थिति हो गयी है। मैं तो इस समय एक बहुत ही अहम पहलू पर आपके जरिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह यह है आगरा जिला एक बहुत बड़ी मण्डी है। वहां बदायूं और फर्रुखाबाद आदि से आलू आता है लेकिन किसान जो अपना आलू लेकर आता है तो उससे ट्रकों का किराया भी नहीं निकल पा रहा है ढुलाई और चुंगी का टैक्स भी वह नहीं दे सकता। साथ ही बीच में आढ़तिये और दलाल उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। उसका आलू ७ रु० में, १०, १५ रु० क्विंटल में ले लेते हैं। किसान की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह उसे वापस ले जाय, अतः वह उसी भाव पर आढ़तिये को दे देते हैं। आढ़तिये दूसरे के नाम से उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप इस बात का पता अपनी इंटेलीजेन्स विभाग से करवा लें कि उत्तर प्रदेश में कितना किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेजों में रखा है और कितना इन आढ़तियों का है। इन लोगों द्वारा आज किसान का शोषण हो रहा है। वह सस्ते में दूसरों के नाम से किसानों से इस आलू को ले लेते हैं और बेनामी तरीकों से कोल्ड स्टोरेजेज में रखे हुए हैं। विभिन्न विभागों का आपस में कोई सामन्जस्य नहीं है। चुंगी खाने के आलू पर भी लगती है और बीज के आलू पर भी लगती है। बीज के आलू पर कम और खाने के आलू पर ज्यादा टैक्स लगता है। इस तरह से नम्बर दो का पैसा लेकर शोषण होता है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस

[डा० कृष्णवीर सिंह कौशल---]

प्रकार आपने ७० निगमों की स्थापना की है उसी तरह से सरकार शीतगृहों का ठेका भी लेते तो किसानों को राहत मिल जायेगी। साथ ही जहां किसानों का ज्यादा नुकसान हो गया है वहां उनका खर्चा माफ करवा दिया जाय।

*श्री भान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

अधिकारी जी, आज किसानों के विषय में चर्चा हो रही है। मुझे याद है, दिघे जो बैठे हैं, जयप्रकाश जी द्वारा जो आन्दोलन इस प्रदेश में चला था जिसमें पिछली सरकार ने लेवी, लगान और दूसरे कर बढ़ाये थे तो उस समय हम लोगों ने आन्दोलन किया था। यह हुकूमत भी उसी आधार पर बनी है---यह जे० पी० की सरकार कही जाय ऐसा हम भूल नहीं सकते। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमने जो नारा दिया है कि हम किसानों की मदद करेंगे, उनकी भलाई करेंगे, गांधी जी ने भी यही कहा था कि यहां पर अधिक संख्या किसानों की है परन्तु न पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक महीने की सरकार हो या दो महीने की सरकार हो---जनता पार्टी के विधान में लिखा है कि हमें सत्याग्रह करने का अधिकार है। हम उसे पूरा करेंगे परन्तु हम विधान सभा में सरकार को नहीं गिरा सकते।

एक बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि आज आप देख रहे हैं कि आलू के बारे में चर्चा यहां हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो जिलों में बैठे हुए अधिकारी हैं क्या वह इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। मुझे भी अपने क्षेत्र मलिहाबाद के बारे में निवेदन करना पड़ा, बात कहनी पड़ी कि किसानों का आलू ले लो और उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दो परन्तु नहीं हुआ। जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था जो गद्दार होते थे उनको सुविधा मिलती थी। उसी तरह से आज भी ३० साल बाद भी वही पूंजीपति डाका डाल रहे हैं उन्हीं दलालों का आलू वहां रखा जाता है। मैं लखनऊ के जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र नारायण की तारीफ करूंगा उन्होंने बक्सी का तालाब में एक कोल्ड स्टोरेज का ताला तुड़वाया। इस तरह का काम किसी जिलाधिकारी ने नहीं किया होगा, मेरे इलाके में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर दें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहां सैलाब आ गया इसलिए लगान माफ कर दो तो मैं क्या कहूं मेरे क्षेत्र में आम पैदा होता है लेकिन सारे आमों में बीमारी लग गई है और वह टपक कर गिर गये हैं। वहां पर छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने जिलाधिकारी के सामने बात की लेकिन कुछ नहीं हुआ। काकोरी ब्लाक में बहुत नुकसान हुआ है। मैंने सरकार से निवेदन किया था। मंत्री जो किसानों के आन्दोलन के हिमायती बनते हैं श्री शिवमंगल सिंह जी यहां बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो मैंने दरख्वास्त दी थी उसके अनुसार कार्य करायें। आमों में छिड़काव होना चाहिये और किसानों को कोई राहत मिलनी चाहिये। जहां सैलाब आता है वहां आप लगान माफ कर देते हैं तो जिन किसानों का आम नष्ट हो गया है उनके लिए आप क्या करेंगे?

एक और बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। आप बिजली कर बढ़ाने जा रहे हैं जब कि हमने उसको कम करने के लिए आंदोलन किया था! आप क्यों बढ़ाने जा रहे हैं। इतना ही कह कर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों के हितों की रक्षा करें नहीं तो हम किसानों के साथ आंदोलन करेंगे और आपकी तमाम जेलों को भर देंगे। इतना कह कर मैं बैठ जा रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं जिला ऐसा है जहां आलू बहुत अधिक मात्रा में होता है और फर्रुखाबाद के बाद बदायूं के अन्दर कोल्ड स्टोरेज काफी संख्या में हैं। परन्तु इस बार बदायूं जनपद में इतना आलू पैदा हुआ कि वह आज भी बहुत से शीतगृहों के बाहर पड़ा हुआ है। शीत भण्डारों में उनके मालिकों ने अपना आलू रखा है जिस कारण से वहां के काश्तकारों का आलू रह गया और बिचौलियों का आलू वह रख लेते हैं। इतना ही नहीं वहां पर जो सहकारी विभाग के कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें कम से कम काश्तकारों का आलू रखा जाना चाहिये। जो भण्डारों के स्वामी हैं उन्होंने अपना आलू अपने परिवारों के सदस्यों के नाम या दूसरों के नाम से आलू डी० सी० एफ० के स्टोरों में रखवाया है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जिले के अधिकारियों ने भी उन बड़े-बड़े व्यापारियों का आलू और आढ़तियों का आलू रखवाया है मैं कहूंगा कि विधान परिषद् के एक सदस्य का भी आलू उन शीतगृहों में रखवाया और उनको इसकी सुविधा प्रदान करवाई जब कि छोटे-छोटे किसानों का जोकि २०, २५ बोरे रखवाते थे आलू नहीं रखवाया।

सरकारी अधिकारियों ने बड़े-बड़े व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों का आलू उसमें रखवाने में सहयोग दिया और छोटे किसानों का आलू आज भी बाहर, खेतों में पड़ा सड़ रहा है। मैंने इस बारे में लिखा था और मांग करता हूं कि वहां पर आलू पर आधारित कोई उद्योग सरकार स्थापित करने की कृपा करें, जैसी आलू के चिप्स बनाने का कारखाना सरकार द्वारा इस जनपद में केवल एक दिन आलू खरीदा गया। आलू उस जनपद में खरीदा नहीं गया, जिससे उसके दाम ८-१० रुपये क्विंटल हो गये। कोल्ड स्टोरेज के मालिकान ने रेट से अधिक पैसे काश्तकारों से लिये। मैं मांग करता हूं कि सरकार आलू के इस प्रकरण की जांच कर दोषी अधिकारियों को दण्ड दे।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि अभी ४-५ सदस्य और बोलना चाहते हैं और हमें इसे १.२५ पर समाप्त कर देना है तथा मंत्री जी और देव बहादुर जी भी कुछ कहना चाहेंगे, जिसमें कम से कम १० मिनट लगेंगे। इसलिए आप लोग जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म कह सकें, कहें अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा।

***श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—**

अधिष्ठाता महोदय, आलू की उपज इस बार सरकारी प्रचार के कारण उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम में बहुत अधिक हुई, लेकिन सरकार ने उसके सदुपयोग या निर्यात आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की, जिससे उसका आलू आज भी खेतों में और कोल्डस्टोरेज के बाहर बहुत काफी मात्रा में पड़ा हुआ है। सरकार ने आलू को कोल्डस्टोरेज में रखने के सम्बन्ध में रेट्स फिक्स किये गये थे, लेकिन उसका हमारे जिला एटा में तनिक भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने किसानों से बाण्ड भराने का तरीका फिर चालू कर दिया है, जो पहले बन्द कर दिया गया था। मैं समझता हूं यह बिलकुल गलत था, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उनमें आलू इतना अधिक भरा गया है। ड्योढ़ा-दूना भरा गया है कि वहां आलू सड़ गया है और कोल्ड स्टोरेज टूट गये हैं। इसलिये मंत्री जी अपनी क्षमता से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेतराम सिंह---]

अधिक आलू भरने वाले कोल्डस्टोरेज की जांच करा लें तथा यह भी जो उनके रेट से ज्यादा लिया है तथा जिनका आलू नहीं रखा जाना चाहिए था वह भी रखा गया है। इन सब की वह जांच करा लें।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)---

अधिष्ठाता जी, आज आलू की समस्या किसी एक जिले की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। कुछ समय पहले केवल कुछ ही जिलों में अधिकांश आलू पैदा होता था और उसके आधार पर उन जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोले गये थे, किन्तु आज तो उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है जहां आलू इतनी अधिक मात्रा में न पैदा हुआ हो कि उसके रखने की समस्या न बन गई है। बस्ती जिला आलू उत्पादन में अभी तक पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्पादन इतना बढ़ गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले साल शीत गृहों में जहां उनका आलू रखा गया, लेकिन मालिकों ने इतना बेइमानी की, जिसका कुछ कहना नहीं। उनकी शिकायतें की गईं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला।

खलीलाबाद और नौगढ़ में दो कोल्ड स्टोरेज से सारा आलू व्यापारियों ने निकाल कर पहले बेच लिया। किसानों को आलू कुछ भी नहीं दिया। इस वर्ष आलू इतना अधिक पैदा हुआ कि आज भी कम से कम दस हजार टन बस्ती जिले में खेतों में बिना खुदा हुआ पड़ा है। उसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और दाम इतना नीचे गिर गया है कि कोई खरीददार नहीं है। यहां तक कि पांच रुपये मन भी आलू का खरीददार नहीं मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए एक महीने तक इन्तजार किये हैं, दो प्रतिशत आलू रख पाये हैं, बाकी लोग बस्ती शहर के नालों में आलू फेंक कर चले गये हैं जहां की दुर्गंध आज भी देखी जा सकती है। इतने बड़े जिले में पांच छः कोल्ड स्टोरेज हैं। सहकारिता का एक है। उसकी क्षमता २०--२५ हजार कुन्तल है बाकी जितने कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी क्षमता एक हजार दो हजार या पांच हजार क्विन्टल है। हम शासन से मांग करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था व्यापक ढंग से करायी जाय खास कर सहकारिता के क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज लगाये जायं जिसमें शासन ने केवल पांच कोल्ड स्टोरेज लगाने का निर्णय लिया है। हमारी मांग है कि कम से कम २५ कोल्ड स्टोरेज बस्ती जिले में सहकारिता के आधार पर बनाये जायं और प्राइवेट लोग जो कोल्डस्टोरेज बनाना चाहते हैं, जिनकी संख्या पचास के लगभग है उन लोगों को हर तरह से सहायता देकर कोल्ड स्टोरेज बनाये जायं।

इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं। आलू के निर्यात का फैसला लिया था। चर्चा बड़े जोर से चली। लेकिन अफसोस है कि एक क्विंटल आलू की भी खरीद नहीं हुई। हमारे जिले में केन्द्र के राज्य कृषि मंत्री माननीय भानु प्रताप ने यह घोषणा की थी कि आलू खरीदा जायगा। लेकिन नहीं हुआ। फैसला शासन ने ले लिया विदेशों को निर्यात के लिए लेकिन पालन नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय वर्मा जी, इसको बजट भाषण में कह दीजिये क्योंकि समय कम है।

श्री बाबू राम वर्मा--

भारत सरकार ने जो आलू खरीदने का फैसला लिया था पहले से उसी आधार पर किसान ने आलू की खेती किया । इस तरह से सरकार को किसानों को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिये । उसके कारण ही उत्तर प्रदेश के किसान की इतनी अति हुई है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । किसान आलू के मामले में निरोह हो चुका है । पहले उनका गन्ने की तरफ झुकाव था । गन्ने की दुर्दशा हो गयी । इस बार आलू की दुर्दशा हो गयी । इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया उसे दोहरायें नहीं । धन्यवाद ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, हम पहले से जानते थे कि यह किसान विरोधी सरकार है और किसानों के नाम पर, जनता के नाम पर जनता की दुश्मनी और पूंजीवाद की वकालत करने के लिए यह बनी है । हमारा पहले से निश्चित मत था । मैं माननीय सदस्य बस्ती और मान सिंह आजाद को मुबारकबाद देना चाहता हूं । उन्होंने और जितने माननीय सदस्य आलू के सम्बन्ध में बोले हैं सब ने आलोचना की है सरकार के इरादों की ओर यह संकेत दिया है कि यह किसान विरोधी सरकार है । मैंने एक डेढ़ महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से बातचीत की थी कि मेरठ मंडल के किसानों का आलू जंगल में पड़ा हुआ सड़ रहा है । तो मंत्री जी ने कहा कि हमने ५० लाख रुपया दे दिया है, इतने बोरे दे दिया है । पी० सी० एफ० द्वारा आलू खरीदा जायगा उसका उल्टा हुआ । एक आलू भी नहीं खरीदा गया । सरकार ने मिल मालिकों से सांठ गांठ की । जिस प्रकार से गन्ना के मामले में सरकार ने नीति अपनाई कि मिल मालिकों और अमेरिका के दबाव में आकर गन्ना किसानों को पीटा, उसी प्रकार आलू पैदा करने वाले किसानों को भी यह सरकार परेशान कर रही है । पूंजीपतियों से लुटवा रही है ।

मंत्री जी ने कहा था कि कोल्ड स्टोरेज मालिक आलू किसानों का नहीं रख रहे हैं । ९० फीसदी किसानों का आलू बाहर पड़ा हुआ है । उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे । मेरा आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसान का आलू रखते ही नहीं, १० परसेंट की बात तो मैं नहीं कह सकता बड़े किसानों के बारे में दूसरे जो वह काश्तकार का आलू रख भी लेते हैं तो उनसे वह १० रुपये, १२ रुपये और १५ रुपये अधिक लेकर रखा गया है । आज भी लाखों मन आलू खेतों में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है । मेरी जानकारी है कि आलू मेरठ हापुड़ और किठौर आदि में पड़ा हुआ है । पैदा करना काश्तकार का जुर्म है । ज्यादा पैदा करने वाले को इनाम देना चाहिये, लेकिन उसके बजाय उसको पूंजीपतियों से पिटवाया जाता है । फसल के समय चीज सस्ती बिकती है और जब वह व्यापारी के पास चली जाती है तो महंगी बिकने लगती है । बस व्यापारी के पास पहुंची नहीं कि वह तेज हो गयी ।

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है इसलिए आप अपने प्रश्नों पर सीधे आवें ।

श्री मन्जूर अहमद--

मेरा निवेदन है कि आप उसकी जांच करवायें और कम से कम आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह खरीदा जा सके । आपकी यह जो सरकार है वह

[श्री मन्जूर अहमद]--

काश्तकारों को दुश्मन है और पूंजीपतियों को गुलाम है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री अजब सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया । यहां पर किसान की चर्चा चल रही थी और मैं बैठा सुन रहा था । जितने भी विधायक हैं उनका किसान से कोई तालुक नहीं है । हमारी सरकार है हमारा मंत्रिमंडल है इनका सरकार से कोई तालुक नहीं है । किसान जहां पर रहता है । वह वहां पर मुसीबत भोगता है । जो वहां पर नहीं रहता है, वे लोग यहां पर महल में रहते हैं और आलू के बारे वह रो रहा है । पर साल किसान गन्ना के कारण बैठ गया और इस साल इसीलिये वह आलू की ओर चला और वह उसको लेकर बैठ गया । कश्तकार से आपका क्या तालुक है । आपका तो विजनेसमैन और दौलत मन्द लोगों से तालुक है । ५० साल पहले उसके जिम्मे जितना कर्जा था उससे ज्यादा कर्जा आज भी है, उसकी जमीन पर और अधिक लोड हो गया है । यह काश्तकार विरोधी सरकार है । अगर काश्तकार बिजली का पैसा नहीं देता है तो उसकी बिजली कट जाती है । किसान अगर एक किश्त भी लोन की न दे तो उसे जेल भेज दिया जाता है, मगर आज तक किसी कारखाने वाले की न तो बिजली काटी गयी और न ही उसे जेल भेजा गया । पिछले साल उसकी ट्राली पर १०० रुपये टैक्स बढ़ा दिया । मैं कहता हूं कि किसान का आप जिक्र मत करिये ।

आपने आकर काश्तकार का क्या भला किया है । वोट लेने के वक्त किसान के हित की बातें कही जाती हैं, लिखी जाती हैं, उसके बाद उसे भूल जाते हैं । जब फिर वोट लेने का वक्त आयेगा उसके गीत गाने लगेंगे । गरीब आदमी को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है । अगर कुछ करना है तो करके दिखाओ । मैंने तो पिछले साल भी कहा था कि आप सरकार नहीं चला पाओगे, आप इस्तीफा देकर घर बैठो । यह काम आपके बस का नहीं है । और न ही यह उनके बस का है जो ३० साल तक यहां बैठे सरकार में । मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि कोई तजवीज और निकालो । जितनी दिलचस्पी आपको कुर्सी के लिये है, मंत्री और राज्य मंत्री बनने के लिये है, उतनी काम करने के लिये क्यों नहीं है ? हमारी तो कोई ताकत है ही नहीं, हमारा तो कोई वारिस है ही नहीं, जब हमारा नहीं है तो जनता और गरीब किसान की कौन कहे । इसलिये आप किसान का नाम छोड़ दो और अमीर की बात रटो । उसी से आप की कामयाबी होगी ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मुझे खेद है कि अब किसी माननीय सदस्य को मैं नहीं बुला सकूंगा क्योंकि समय नहीं है । अभी माननीय देवबहादुर सिंह जी को समय देना है, फिर मंत्री जी बोलेंगे । देवबहादुर सिंह जी, आप कृपया ५ मिनट में खत्म कर दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय कृषि मंत्री जी ने जो वक्तव्य आलू के सम्बन्ध में दिया वह बड़ा ही निराशापूर्ण, कार्यक्रमहीन और आश्वासन विहीन रहा है। जनता पार्टी की सरकार की नीति किसान विरोधी है ऐसा उससे पता चलता है। जितने भी माननीय सदस्यों ने आज चर्चा में भाग लिया सभी ने एक स्वर में सरकार की नीति की आलोचना की। पिछले वर्ष ढाई लाख हेक्टेयर में आलू की खेती हुई, इस वर्ष ३ लाख हेक्टेयर में हुई। अब इस अधिक पैदावार के लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपने उसकी खपत के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बताया। जो आपने फिगर्स दी हैं उसमें बताया है कि २३ लाख टन अतिरिक्त आलू, खपत के बाद, बच रहेगा। उसे आप कहां बेचना चाहते हैं? कहां ले जाना चाहते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं के उसकी खरीद फरोक्त की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। निर्यात आलू का बन्द कर दिया गया पिछले वर्ष और केवल यही नहीं कि विदेशों में जाये बल्कि दूसरे अंचलों में भी नहीं भेजा गया। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि जो बचा है उसका क्या करेंगे। कहीं-कहीं आलू खरीद केन्द्र बने हैं। केवल ६ हजार टन आलू की खरीद की बात कही है। २३.५ लाख टन जो आलू बचा है उसका क्या करेंगे, उसका मूल्य क्या दिलवायेंगे और जहां-जहां खरीद नहीं हुयी है, वहां-वहां भी खरीद हो जाये। कितना धोखा किसानों को दिया जा रहा है। यह रुद्रपुर नैनीताल से समस्त किसानों को सूचित किया गया है कि "समस्त किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि कृषि उत्पादन मन्डी समिति रुद्रपुर के विशेष प्रयासों से प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा क्रय-विक्रय समिति रुद्रपुर आलू का क्रय केन्द्र मण्डी स्थल रुद्रपुर में दिनांक १५-२-७९ से खोला जा रहा है। खरीद केन्द्र पर आलू की चन्द्रमुखी, अपटूडेट एवं मिलट्री (स्पेशल) जातियों का क्रय ५० रुपये प्रति क्विन्टल को दर से तथा फार्म पर ४५ रुपये प्रति क्विन्टल की दर से लिया जायेगा।

आलू का साइज ४५ मि० मी० व्यास का होना चाहिये। अतः समस्त कृषक क्रय केन्द्र पर अपना आलू विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त करें।

इस तरह के पम्फलेट बंटे और १२-२-१९७९ से किसान प्रतीक्षा करता रहा लेकिन आज तक वहां क्रय केन्द्र नहीं खुला। ५ लाख रुपये भी दिये गये फेडरेशन को, आलू खरीदने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आलू के लिए लागत के अधार पर कोई मूल्य निर्धारित करने की योजना लागू करने पर विचार कर रही है?

इस विषय में मंत्री जी क्या कर रहे हैं? बैगन के बारे में, ट्रकों के बारे में क्या कर रहे हैं। २-४ मसले हैं जिनका समाधान हो जाये। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसा आश्वासन दें जिससे किसान जो आलू बोयें वे उसका लागत मूल्य पा जायें।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्यों का बहुत अनुग्रहीत हूं जिन्होंने किसानों की चर्चा में भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दिये जिससे समस्या का समाधान करने में काफी सहायता मिलेगी।

चर्चा का विषय तो आलू था लेकिन गन्ने का भी उसमें समावेश हो गया। यह कदाचित माननीय सदस्यों का गन्ने के सम्बन्ध में कहना अन्याय होगा कि गन्ने की समस्या से किसान परेशान हुए और लाखों मन गन्ना जला दिया गया। पिछले साल भी मैंने ऐसा नियोजन किया था कि गन्ने का उत्पादन बढ़े। तो निश्चितरूप से इसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं

[श्री शिव मंगल सिंह---]

क्योंकि साधन लिमिटेड हैं। इसलिए कभी-कभी यह समस्या पैदा होती है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था हमने यह आदेश सभी मिलों को दे दिया था कि जब तक मिलों के चलने में प्रकृति बाधक न हो तब तक सारी मिलें उस वक्त तक काम करती रहेंगी जब तक कि गन्ना पेराई का काम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी चीनी मिलें अगस्त के महीने तक चली हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमने यह भी किया है कि इस वर्ष इस सत्र के अंदर दो बार, तीन बार पूरे गन्ने का सर्वे कराकर और प्राथमिकता के आधार पर जितना पुराना गन्ना बाकी है उसकी पेराई हो। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में यह प्रथम वर्ष है जब इस वर्तमान सत्र में फरवरी के महीने में पुराना गन्ना पेरा गया। निःसंदेह आज मैं दावा कर सकता हूं कि जहां तक पुराने गन्ने का संबंध है उत्तर प्रदेश में पुराना गन्ना पेराई के लिए बाकी नहीं रह गया है। जहां तक मूल्यों का सवाल है केन्द्र सरकार मूल्य तय करती है। हमने किसानों को वही मूल्य दिलवाया जो पिछले सत्र में था। इतना ही नहीं इसके बाद जो दिक्कतें किसान के सामने आयीं सरकार ने अपना आदेश जारी किया कि जितना पैसा बाकी है गन्ना किसानों का जिसकी पर्ची उनके पास मौजूद है, किसान की वसूली अगर बाकी है तो किसानों पर जोर जबरदस्ती न की जाय। इन सारी सुविधाओं के बाद माननीय सदस्य यह कहें कि गन्ना किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ कोई बड़ी परेशानी हुई यह एक उदारता की बात नहीं कही जा सकती।

श्री देव बहादुर सिंह---

हमें डर है कि कहीं गन्ने की बात कहकर समाप्त न कर दें।

श्री शिव मंगल सिंह---

मैंने यह इसलिए कहा कि गन्ने से बात प्रारम्भ की गयी थी इसलिये मुझे उसका उत्तर देना पड़ा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष गन्ना किसानों की कोई

(इस समय २ बजे अधिष्ठाता श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुये)

समस्या न पेराई की और न पेमेंट की समस्या रह सकती है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सन् ७१ के बाद का जो बकाया था, ७१ से ७८ तक का मिलों के ऊपर जो बकाया था उसको सरकार ने २० करोड़ रुपये की रकम देकर खत्म किया है। इस वर्ष गन्ने का पेमेंट उसी वक्त हो जायगा थोड़ी सी १०-१२-१५ दिन का अंतर पड़ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान सत्र में कम से कम गन्ना मूल्य का अवशेष रह जाय। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस समय गन्ने की कोई समस्या पैदा होने की आशंका नहीं है।

मान्यवर, जहां तक आलू का संबंध है मैंने पहले बताया कि जब उत्पादन बढ़ता है तो उसके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग के मसले में मैंने शुरू में कहा कि हमारे फर्रुखाबाद साइड में जहां अधिक आलू का उत्पादन होता है, सारे आलू का मार्केट आसाम--बंगाल में है। इस साल ऐसी स्थिति रही कि बंगाल के अंदर काफी उत्पादन हुआ और वह आलू आसाम को चला गया। दूसरी कठिनाई पैदा हुई कि जो बैगन्स मिलते थे वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले जिससे आलू की खपत बाहर की तरफ जिस मात्रा में होनी चाहिये थी वह नहीं करा सके। लेकिन इनके माने यह नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। केन्द्र सरकार से हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैगनस हमको मिलें जिससे आलू बाहर बिक्री के लिए भेजा जा सके।

मान्यवर, जहां तक खरीद का सवाल है तो आज भी नेपेड से या उसकी एजेन्सी पी० सी० एफ० को निर्देश दिये हैं कि आलू की खरीद की व्यवस्था अधिक से अधिक मात्रा में करें। हमने यह भी व्यवस्था किया है कि मुख्य-मुख्य जगहों जैसे फर्रुखाबाद, हापुड़, इलाहाबाद, वाराणसी और जौनपुर आदि में सेल प्वाइन्ट कायम किये जायें।

मान्यवर, दूसरी बात जहां तक कोल्ड स्टोरेज का सवाल है तो जब पैदावार की बढ़ोत्तरी होती है तो स्टोरेज उसका मुख्य अंग होता है। स्टोरेज के संबंध में निवेदन किया कि इस वर्ष हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि २०० कोल्ड स्टोरेज ४ हजार मेट्रिक टन की क्षमता के बनाये जायेंगे जिससे ८ लाख मेट्रिक टन क्षमता की वृद्धि भंडारण की हो जायेगी। ऐसी परिस्थिति में जो कहा गया कि आलू सड़ रहा है तो वह नहीं सड़ेगा। इस संबंध में जो कोल्ड स्टोरेज का अधिनियम बना है उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूं और उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिससे भविष्य में किसानों को स्टोरेज के संबंध में कठिनाई न हो। जैसे जौनपुर के कोल्ड स्टोरेज के बारे में एक माननीय सदस्य ने शिकायत किया है तो उस में हमने कार्यवाही किया तो वह कोर्ट चले गये और वहां से स्टे ले लिया। इसलिए कठिनाई हमारे सामने आई है लेकिन फिर भी हमने उसको गिरफ्तार कराया है और जो भी माननीय सदस्य कोल्ड स्टोरेज के बारे में शिकायत करेंगे तो उसमें तत्परता से जांच करायेंगे। क्योंकि किसानों के ऊपर जो भी अत्याचार करेगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी खरीद शुरू करा दें।

श्री शिव मंगल सिंह--

खरीद जिस मात्रा में आशा की जाती थी उस मात्रा में नहीं हुई है लेकिन इसके माने यह नहीं कि खरीद बन्द हो गयी है। इसलिए प्रयास करेंगे कि जो कमी आयी है उसमें तेजी आये। इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और जो सुझाव दिये गये हैं मैं चेष्टा करूंगा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार गन्ना में कोई शिकायत नहीं मिली है उसी प्रकार आलू में भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, पहले कोरम पूरा करा लें तब और काम शुरू करें।

श्री अधिष्ठाता--

इसकी इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं चूंकि अभी घंटी नहीं बजा है।

आज सदन में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर भूतपूर्व संस्थागत वित्त मन्त्री श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का नाम छपे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जहां तक मुझे मालूम है लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं श्री लखुकर दिये जी संस्थागत वित्त मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र---]

हैं और उसी नाते इस बिल को पायलट करने के लिए आये हैं। लेकिन इसमें लिखा है केशरी नाथ त्रिपाठी और केशरी नाथ त्रिपाठी भूतपूर्व मन्त्री हैं। यह भी नहीं किया कि कम से कम स्टैम्प ही ठीक कर देते।

इसी तरह से दूसरा बिल है उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ उसमें भी श्री केशरी नाथ त्रिपाठी लिखा हुआ है। तो यह किस प्रकार की व्यवस्था है कि अभी वह मिटे नहीं और यह आ गये। कम से कम रबर से तो मिटा देते। पिछले शासनकाल में भी लोग भूतपूर्व मंत्री होते थे। तो प्रश्न उठ रहा है कि अगर वह सरकार के मन्त्री अभी हैं, तो श्री मधुकर दिघे को यह बिल प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मिश्रा जी तो संसदीय नियमों के पारंगत हैं। आप जानते हैं कि कोई भी मन्त्री सरकारी बिल को पेश कर सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र---

लेकिन उसमें केशरी नाथ त्रिपाठी छपा है और श्री केशरी नाथ त्रिपाठी क्या मन्त्री हैं?

श्री अधिष्ठाता---

लेकिन प्रस्तुत श्री मधुकर दिघे जी कर रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र---

तो इसमें श्री केशरी नाथ त्रिपाठी का नाम कैसे ठीक है?

श्री अधिष्ठाता---

उसमें ऐसा है कि जब वह पुरः स्थापित किया गया था, तो वह मंत्री थे।

श्री श्यामधर मिश्र---

उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, लेकिन अब वह मन्त्री नहीं हैं। न जहां-जहां वह छपे थे, वहां-वहां कैन्सिल किया गया और न इंक ही मिटायी गयी।

एक सदस्य---

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि....

श्री अधिष्ठाता---

यह तो सदन में पुरः स्थापित हो चुका है, इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं।

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

वैसे जब बिल का प्रस्तुतीकरण होता है, तो जो मिश्रा जी ने कहा है, वह सही था। आपने, मान्यवर, जो अभी निर्णय दिया है, वह इसी बात को ध्यान में रखकर दिया है। मेरा ख्याल है कि मिश्रा जी ने इस प्रश्न को इस तरह से उपस्थित किया कि जैसे शुरू में वह कुछ कहना चाहते थे और कह कुछ दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी धूम्रपान निषेध के बारे में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं लेकिन जो धूम्रपान करता हो, उसको धूम्रपान निषेध की बात नहीं करनी चाहिये ।

श्री मधुकर दिघे--

ऐसा लगता है कि माननीय देव बहादुर जी इस बिल का सम्पूर्ण समर्थन करेंगे । मान्यवर, यह धूम्रपान निषेध विधेयक मैं तब प्रस्तुत कर रहा हूं जबकि मैंने धूम्रपान त्याग दिया है और एक महीने से पहले से त्याग कर दिया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मुझे खुशी है कम से कम एक बात तो मान ली ।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (संशोधन) विधेयक, १९७८

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं सदन के समक्ष, यह बहुत ही मासूम सा संशोधन है । अभी यह व्यवस्था है कि सिनेमा हाल में जब सिनेमा का निरूपण या प्रदर्शन होता हो, तो धूम्रपान निषेध है । लेकिन शासन की नालेज में आया है कि जब बीच में मध्यान्तर होता है, तो चूंकि उस पीरियड का शब्दावली में निरूपण नहीं है, इसलिए बीच वाले काल में लोग धूम्रपान करते हैं और जिससे कई कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं । इसी बात को ध्यान में रखकर यह मासूम सा संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं । इसमें धारा ३ में केवल एक स्पष्टीकरण बढ़ाया जा रहा है । "इस धारा के अधीन निषेध किसी एक निरूपण या प्रदर्शन में किसी विराम या मध्यान्तर की अवधि पर भी लागू होगा किन्तु किसी सिनेमा के फिल्म या अभिनय या गीतवाद्य के दो अलग-अलग निरूपण या प्रदर्शन के बीच की अवधि पर लागू न होगा" इसके अतिरिक्त "मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में, शब्द "धारा ३ में अभिदिष्ट निरूपण या प्रदर्शन के समय" के स्थान पर शब्द "धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करके" रख दिये जायेंगे ।" इसमें कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सब लोग जो यहां इस सदन में उपस्थित हैं, वह सब लोग इस बात से सहमत हैं कि धूम्रपान के कारण जो लोग मनोरंजन के लिए वहां जाते हैं, उनको कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं ।

माननीय मिश्रा जी जानते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामने बैठे हुए लोग, जो मनोरंजन के लिए आए रहते हैं और सिनेमा देखते रहते हैं, बीड़ी और सिगरेट पीने वाले लोग उन पर सिगरेट भी फेंक देते हैं । एक बार एक शिकायत आई थी जिसमें कि एक महिला की साड़ी को आग लग गई । हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया हो । एक बार धूम्रपान के कारण पिक्चर हाल में बड़ा हंगामा हो गया क्योंकि आगे की बेंच पर कई सरदार लोग बैठे थे, उन्होंने यह विरोध प्रदर्शित किया कि पीछे वाले लोग धूम्रपान न करें । पीछे वालों ने कहा कि इस वक्त मध्यान्तर है, जब पिक्चर शुरू हो जायेगी, तब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मधुकर विघे---]

नहीं करेंगे । इसी बात पर वहां झगड़ा हो गया और मारपीट हो गई । इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को विरोध नहीं होगा और सर्वसम्मति से, बगैर इस पर ज्यादा चर्चा किये, इस संशोधन को आप सब स्वीकार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जब माननीय वित्त मंत्री जी बोलते हैं तो ऐसी मासूमियत से बोलते हैं कि कितनी भी कठोर बात हो, वह मासूम बन जाती है । अभी जो उन्होंने बात कही, वह सरल बात है लेकिन अगर कठिन हो भी तो उन्होंने उसको मासूम बना दिया और इसका कारण मुझे यह लगता है कि इन्होंने सिनेमा बहुत देखा है और लोगों ने इनको दिखाया है । लेकिन बिना टिकट के नहीं देखा है मोहन सिंह जी को बिना टिकट के ले जाते हैं, वह दूसरी बात है । मैं यह कहना चाहता हूं, सिगरेट के बारे में माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि इनका अनुभव बहुत रहा है, बहुत सही बात है और अभी एक माह पूर्व ही इन्होंने धूम्रपान छोड़ा है ।

यह बात सही है और ताइद की बात है कि धूम्रपान सिनेमा हाल में किसी स्तर पर किसी समय नहीं होना चाहिये । इंटरवल के समय और चलते समय, जब सिनेमा चल रहा हो, उसके बीच में कभी नहीं होना चाहिये । जहां तक यह बात है उसमें कोई विवाद की बात नहीं है लेकिन हमारा कहना आपसे यह है कि सिनेमा के संबंध में आप जब एक विधेयक, संशोधन के रूप में ले आए, पिछले साल भी इस पर चर्चाएं हुई थीं, दूसरे रूप में हुई थीं इस साल भी चर्चा हो रही है, एक दूसरे रूप में हो रही है, यही हमारी शिकायत है । हमारी शिकायत है कि इस प्रदेश में सिनेमा एक उद्योग के रूप में अभी पनप कर नहीं आया है । जब उद्योग के रूप में पनप कर आयेगा तो सबसे अधिक अगर किसी को फायदा होगा तो माननीय वित्त मन्त्री को, संस्थागत वित्त मन्त्री को होगा टैक्स के रूप में । वह क्यों नहीं आया, इसका कारण है । उन कमियों को आपको दूर करना होगा ।

आज क्या हालत है ? अभी कल मैं जब भाषण सुन रहा था और माननीय सदस्यों ने सुना, माननीय मन्त्री जी शिकायत कर रहे थे केन्द्र की कि आबादी तो १६ फीसदी हमारी है लेकिन हमें जो साइज आफ प्लान दिया गया वह १५·७ या १५·३ दिया या एक प्रतिशत कम दिया गया । एक प्रतिशत पर शिकायत कर रहे थे । मैं उन के साथ हूं । अगर एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत भी कम हो जाय तो करोड़ों में चला जाता है । शिकायत की बात है । मैं शिकायत करूं माननीय मन्त्री जी से कि जिस प्रदेश की १६ फी सदी आबादी हो उस प्रदेश में केवल ७ फी सदी और ८ फी सदी सिनेमा इस देश के हों तो, आप क्यों नहीं बढ़ाते इस उद्योग को । या यह समझें कि केवल मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, स्थान है सिनेमा । कुछ लोग इसके पोषक हैं । इसमें मनोरंजन की बात है । मैं मनोरंजन का विरोधी नहीं हूं । मनोरंजन का, ज्ञान का जो वातावरण है बच्चों को, बुजुर्गों को, सब को मिलना चाहिए । मद्रास की हमारे से आधी आबादी नहीं है । हमारे से श्रीमन्, तामिलनाडु में आधी आबादी नहीं है लेकिन करीब-करीब जहां तक मेरी संख्या अगर गलत नहीं है १,२०० सिनेमा हाल वहां हैं । सचमुच में हैं । चलचित्र निगम का व्यापक प्रसार है अपनी ओर से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हमारे यहां क्या है । ६०० से ज्यादा संख्या नहीं है । १००-५० की मेरी गलती हो । ६०० से ज्यादा सिनेमा यहां नहीं हैं । एक कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले साल की उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में । बिहार की क्या प्रतियोगिता की जाय । हमें प्रतियोगिता करनी चाहिए महाराष्ट्र से, प्रगतिशील प्रदेशों से पंजाब से, तामिलनाडु से, कर्नाटक से । हम क्यों पिछड़े हैं । चल चित्र निगम बनाया है आप ने । थोड़ा सा दायरा है इस निगम का । १०-२५ गांव के लिए छोटे-छोटे सिनेमा बनाने का प्रयास कर रहा है । इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है । उद्योग के रूप में यह उद्योग माना ही नहीं जाता । बैंक इस को ऋण नहीं देते । बहुत कम देते हैं । इधर कुछ थोड़ा देने लगे हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से ।

और श्रीमन्, जहां तक यह कहना कि धूम्रपान मध्य में जो बंद होता है जिसे इन्टरवल कहते है उस समय न किया जाय,यह ठीक है । लेकिन माननीय मंत्री जी और माननीय और मन्त्री लोग बैठे हैं सिनेमा जाते हैं, जाते रहे हैं और जाते रहेंगे, यह जानते हैं कि वहां पर सीटें कैसी हैं । दिल्ली में भी जाते हैं, और प्रदेशों में भी जाते हैं, प्रगतिशील प्रदेशों में, वहां पर कैसी सीटें हैं । यहां बैठे हैं तो मालूम पड़ा की चूहा निकल गया । मैं....

एक सदस्य--

सांप निकल गया ...

श्री श्याम धर मिश्र--

सांप निकल गया मैं कैसे कहूं । लेकिन चूहा निकल गया । आप सुनें । डाक्टर कौशल आपको बतायेंगे अपना अनुभव । मैं नरसीं ही लखनऊ में सिनेमा देखने गया और चूहा मेरे पैर से निकल गया । मैंने देखा कि क्या हुआ तो लगा सचमुच कोई ऐसा जानवर होगा, मालूम हुआ कि चूहा निकल गया, फिर निकल गया, फिर निकल गया । इस प्रकार निरीक्षण की व्यवस्था आपकी क्या है । कोई व्यवस्था आपकी नहीं है । निरीक्षण हो ।

एक सदस्य--

दिल्ली में किस प्रकार है ..

श्री श्याम धर मिश्र--

दिल्ली में बहुत कम हैं ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

बिल्ली भी निकल रही है ...

श्री श्याम धर मिश्र--

अगर ये जायेंगे तो बिल्ली ले कर जायेंगे । ये हर बिल्ली और चूहे के ठेकेदार हैं । चूहे के रूप में या बिल्ली के रूप में चार रुपये के टिकट में यह उम्मीद की जाय कि बिल्ली ले कर जायं तो बिल्ली के लिए भी टिकट लें । यदि माननीय सदस्य यह सुझाव देते हैं तो माननीय मन्त्री जी कहें कि एक ही टिकट में बिल्ली भी ले जायं । इस राज्य में यह निश्चित होगा । एक टिकट खरीद कर के बिल्ली ले जायं । तो माननीय राजेन्द्र कुमार जी ऐसा सुझाव नहीं देंगे । यह जो निरीक्षक लोग हैं वे सिनेमा प्रोप्राइटर से मिले रहते हैं । उसका फल भोगता कौन है । उपभोक्ता

[श्री श्यामधर मिश्र]

उसे भोगता है जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, गंदगी फैली हुई है, सीट फटी हुई है । इस छेद को कैसे भरा जाय, कैसे उसकी व्यवस्था का जाय ? १० वर्ष पहले की बात है ।

एक स्टूडियो गाजियाबाद में बनाया गया, उसके बाद लखनऊ में बनाया गया । कई लाख रुपया बरबाद हुआ । कोई कारण नहीं है कि स्टूडियो इस प्रदेश में न चल सके । ऐसी जगहें हैं जहां वह चल सकता है लेकिन चलचित्र निगम ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि वह स्टूडियो बनाये । कलकत्ता, बम्बई, तामिलनाडु, कर्नाटक, बंगलौर जाइये । वहां यह उद्योग है । मंत्री जी अगर प्रयास करें तो १५ वर्ष में सालाना १००–२०० करोड़ का टर्नओवर इसमें हो सकता है । जहां तक यह विधेयक है इसकी मैं ताईद करता हूं । लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि लखनऊ में अगर गंदगी है तो गांवों की क्या हालत होती होगी ? आपने टैक्स बढ़ा दिया गरीब आदमी पर । सिनेमा टैक्स हो अथवा बिजली का टैक्स हो, केवल टैक्स बढ़ाने से शासन चलने वाला नहीं है । अनुशासन से शासन होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं वहां मेरी मांग है कि जो कमियां हैं उनको व्यापक रूप से समझ कर एक व्यापक संशोधन विधेयक लाया जाय, उस पर हम लोग विचार कर लें । इससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा, यह सरकार भी लाभान्वित हो सकेगी ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि जो विधेयक यहां पेश हुआ है तब व्यावहारिक रूप से उसका परिपालन होगा । तभी उसकी कमियां मालूम होंगी । जब ऐसी गंभीर कमियां शासन के ध्यान में आईं तो यह संशोधन विधेयक लाया गया जो स्वागत योग्य है । मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मिश्रा जी का भाषण सुन कर यह बात ठीक लगी अगर इस बिल में उनका सुझाव आ गया होता तो न बोलता । इस बिल में जिन बातों का प्राविधान किया गया है मैं उन्हीं तक अपने को सीमित रखूंगा । इस बिल को लाने का मंशा यह है कि सिनेमा हाल में कोई धूम्रपान नहीं करेगा ।

और यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि प्रदर्शन होते हुये अगर कोई धूम्रपान करेगा तो वह दन्डित कर दिया जायेगा । लेकिन इसमें एक चीज छोड़ दी गई है और उससे वह व्यक्ति कानून का सहारा ले सकता है कि मैं धूम्रपान उस समय कर रहा था जब प्रदर्शन नहीं हो रहा था । मैं यह कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता कि धूम्रपान से कितनी हानियां होती हैं लेकिन आप इस विधेयक में दिये गये स्पष्टीकरण को पढ़ें तो मालूम हो जायेगा । उस स्पष्टीकरण से मंशा पूरी नहीं हो रही है । इसमें लिखा है––इस धारा के अधीन निषेध किसी एक निरूपण या प्रदर्शन में किसी विराम या मध्यान्तर की अवधि पर भी लागू होगा किन्तु किसी सिनेमा के फिल्म या अभिनय या गीतवाद्य के दो अलग–अलग निरूपण या प्रदर्शन के बीच की अवधि पर लागू न होगा ।" जैसे फर्स्ट शो खतम हो गया, सेकिन्ड शो चालू हुआ और उस बीच किसी ने धूम्रपान किया । उस समय हाल खाली तो नहीं रहता है । कोई सिगरेट पीकर आता रहता है, कोई जाता रहता है । इसलिये मैं अधिक समय न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा वास्तव में धूम्रपान निषेध की है और आप चाहते हैं कि वह प्रभावी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो तो जो इसमें जो "किन्तु" वाला परन्तुक लगा हुआ है उसको इस तरह से दुरुस्त कर दिया जाय कि पहले और दूसरे शो के बीच में यह प्राविधान प्रभावी होगा ।

मान्यवर, शासन के अधिकारियों से तो यह गलती हो सकती है, मैं ऐसा समझता हूं, किन्तु माननीय वित्त मंत्री जी से यह गलती हो जाय, यह बड़े आश्चर्य की बात है । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे मेरी इस बात को स्वीकार करें । इसको वापस ले लें या फिर से इसको ड्राफ्ट कर लें । मैं समझता हूं कि जिस सद्भावना और विचार से यह बिल लाया गया है, जो इसकी मंशा है, वह अपनी जगह पर नष्ट हो जायेगा अगर ऐसा नहीं किया गया ।

मान्यवर, इस मंशा का लाभ उठाकर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सिनेमा को एक लक्जरी समझा जा रहा है । हमारा जो सामान्य जन है उसका एक मात्र मनोरंजन का यही एक साधन है और कल के बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक का जो उद्देश्य है कि जो सिनेमा देखने के लिये जाता है उसको कैसे सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं जब टैक्स लगा देंगे तो मामला एकांगी हो जायेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि टैक्स लगाना उचित नहीं है । इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य मेरे तर्क से अवश्य सहमत होगा, ऐसा मैं मानता हूं । इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे स्वीकार करके सदन को आश्वासन दें और तभी इसकी भावना पूरी होगी ।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लाये हैं वह बहुत ही सुन्दर है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । लेकिन वास्तविक बात यह है कि यहां पर जितने भी विधेयक पास किये गये हैं उस पर अमल कितना होता है । यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं सिनेमा देखते हैं उन्होंने खुद अपनी आखों से देखा होगा कि लोग सिगरेट और बीड़ी पीते हैं आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है । अक्सर यह देखा जाता है कि साल में दो एक बार सिटी मैजिस्ट्रेट गये और १०, ५ सब-इन्पेक्टर और सिपाहियों को लेकर उन्होंने गिरफतारियां की और बात अखबारों में आ गई फला दिन फलां अधिकारी ने दबिश दी और इतने लोगों को गिरफतार किया और इतना जुर्माना किया इस प्रकार उनके कर्त्तव्य की इतिश्री हो गई । इसको इम्पलीमेंट कैसे करेंगे यह अपने आप में सोचने और समझने की है । जब तक वह मशीनरी इस लायक नहीं बना दी जायेगी कि वह इस कानून को अमल करवा सके तब तब इन सब कानूनों का कोई फायदा नहीं है । आपने देखा कि जो हमारे सम्मानित सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा वह बड़ी अच्छी बात है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि सिनेमा परिसर के अन्दर चाहे शो हो या न हो उसमें धूम्रपान बन्द कर देना चाहिये जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक फूलप्रूफ इसे नहीं कहा जा सकता और आपका अभिप्राय पूरा नहीं होगा । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे जैसा कि वह पहले भी मानते आये हैं । मिश्रा जी ने पहले ही उनकी तारीफ की थी कि बहुत मासूमियत से बिल पेश करते हैं । वह हैं भी मासूम । इस पर मुझे एक शेर याद आ गया कि "भोली भाली सूरतवाले होते हैं जल्लाद भी जिसको उन्होंने कल बजट पेश करते समय जो टैक्स बढ़ाया है उससे साबितकर दिया है ।

धूम्रपान का कंट्रोल आपका अगर होता भी है तो वह शहरों तक जो देहातों में सिनेमाघर हैं उनमें नहीं होता है । जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि चूहा निकल

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

आया । मैं कहता हूं कि बूहे की बात छोड़िये आपको खटमल मिलेंगे और छूंदर मिलेंगे । धूम्रपान के अलावा भी चीजें ऐसी हैं जो अनहाईजनिक हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिये । मैं एक दफा बुलंदशहर बारात में गया था उसमें कम से कम ६ इंटरवल हुए और पानी पड़ा तो कम से कम तीन बार बीच में और भागना पड़ा । तो टैक्स भी देना पड़ा और टिकट भी लेना पड़ा । जब आप टैक्स ले रहे हैं तो आपकी जो मशीनरी है उसको कम से कम यह सब देखने के लिए तो कहें ।

एक दूसरी बात है टिकटों के ब्लैक के बारे में मंत्री जी भले ही ब्लैक में टिकट न लेते हों क्योंकि उनके पी० ए० ने टेलीफून कर दिया और टिकट रिजर्व हो गये । लेकिन आम आदमी की परेशानी को आप देखें कि तिगुने और चौगुने दाम पर उसे टिकट लेने पड़ते हैं । उसमें पुलिस के कर्मचारी भी शामिल रहते हैं, उनकी जानकारी में यह सारा काम होता है । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब आपने इतना मनोरंजन कर बढ़ाया है और करोड़ों रुपयों की आमदनी सरकार को हो रही है तो जो गरीब की जेब से पैसा ले रहे हैं उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखें और यह भी देखें कि जो कानून बनाने जा रहे हैं उनका किस प्रकार से इम्पलीमेंटेशन करेंगे ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कोरम नहीं है । यह इसलिये कहा रहा हूं कि मंत्री लोग बहुत देर से आरामगाहों में बैठे हैं उनको अब थोड़ा कष्ट दीजिये ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है । दो प्रश्न हैं जिनका जवाब देना मैं आवश्यक समझता हूं । एक बात राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कही, जिसका समर्थन विरोधी दल के स्थानीय सदस्य डा० कौशल जी ने भी किया है । एक यह बात सही है और सिद्धान्ततः उसे मुझे कोई विरोध नहीं है । लेकिन कभी-कभी हम कोई अच्छी और छोटी शुरुवात करते हैं, जो प्रश्न केवल कानून से सम्भव नहीं है : धूम्रपान न करना और मद्यपान न करने पर कानून से रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इन बुराइयों को रोकने के लिए सामाजिक नियन्त्रण होना भी आवश्यक है । इसके लिए समाज द्वारा भी आन्दोलन होना चाहिए । यदि हम धूम्रपान को केवल कानून द्वारा व्यवस्थित करना चाहें तो यह सम्भव नहीं है । लेकिन हमने जो कुछ भी किया है, धीरे-धीरे उसका अच्छा नतीजा निकलेगा और लोग उसके पक्ष में होते जायेंगे और जो उनकी इच्छा है कानून द्वारा उसका सुधार कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी । समय जाने दीजिए धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे । मैं गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी इस पर बहस हुई, जब मैं धूम्रपान बहुत करता था तो मैंने कहा है कि जब सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो योरुप के देशों में इसके लिए कोई मनाही नहीं है, तो यहां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करना, मौज करने, अधिक विचार करने और मनोरंजन करने का एक अच्छा साधन है । कि इस पर लम्बी बहस चलायी जा सकती है लेकिन प्रश्न यह है कि आपके मनोरंजन से दूसरे का मनोरंजन भंग होता है । उसका जहां तक सम्बन्ध है उससे मैं सहमत हूं । आपकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दृष्टि में और मेरी दृष्टि में फर्क नहीं है । समय आयगा तो वह भी संशोधन आ जायगा । आना भी चाहिए । लेकिन एक-एक कदम बढ़ाएंगे । इस आश्वासन के बाद मेरी बात को स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को जैसा कि पहले लोगों ने कहा है, इसमें अच्छी व्यवस्था है, इसको पारित करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, १९७८

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, १९५२
का संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) अधिनियम, १९७९ कहा जायगा । — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, १९५२ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :— — उ०प्र० अधिनियम संख्या ३० सन् १९५२ की धारा ३ का संशोधन

"स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन निषेध किसी एक निरूपण या प्रदर्शन में किसी विराम या मध्यान्तर की अवधि पर भी लागू होगा किन्तु किसी सिनेमा के फिल्म या अभिनय या गीतवाद्य के दो अलग-अलग निरूपण या प्रदर्शन के बीच की अवधि पर लागू न होगा ।"

3—मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में, शब्द "धारा ३ में अभिविष्ट निरूपण या प्रदर्शन के समय" के स्थान पर शब्द "धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करके" रख दिये जायेंगे । — धारा ४ का संशोधन

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, खंड १ प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८*

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह भी संशोधन इस लिए रखा गया है कि पिछले जमाने में मैं नहीं जाता कि किन कारणों से उन कारणों तक जाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, लेकिन कुछ शब्दों पर रजिस्ट्रीकरण करते समय सोसाइटीज पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । यह प्रतिबन्ध किसी सोसाइटी के नाम के पीछे संघ हो या गांधी शब्द जुड़ा हो, ऐसी समितियों का रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा । यह बात सही है कि जब इस प्रकार के संघ बनते थे तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी । मैंने एक बार देखा एक आदमी ने अपनी जूते की दूकान गांधी जूता हाउस रख दिया । जो हम लोगों की भावना है उससे कष्ट होता था । यहां तक मैंने एक बार देखा कि एक जगह पर मधुशाला का नाम गांधी जी के नाम पर रख दिया । तो इस पर कहीं न कहीं शासन के कानून की पकड़ होना आवश्यक है । तो जहां उसका औचित्य था और किन दूसरे कारणों से संघ और गांधी शब्दों के बारे में पिछले कानून द्वारा मनाही कर दी गयी थी इस विधेयक में केवल इतना ही कहा गया है कि अब ऐसे शब्दों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में शासन अपने हाथ में यह अधिकार ले रहा है कि वह चाहे तो अनुज्ञा दे सकती है । कहां देना है यह शासन को विचार करके देना है । चूंकि पहले इस मामले में विचार करने का अधिकार शासन के पास नहीं था एक कानूनी दिक्कत उपस्थित हो गयी थी जहां उसका औचित्य था गांधी शब्द का प्रयोग गलत तरीके से न करें वहां यह भी नये कानून में संशोधन करके हमने यह व्यवस्था करें है कि जांच करें मामले में । पंजीकरण के सम्बन्ध में यह कर दिया है कि नवीनीकरण करना प्रत्येक वर्ष आवश्यक है । तो उस कानून में जो पंजीकरण में रोक थी, जो संस्था उचित ढंग से गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करती है और वह उनकी गरिमा के अनुकूल है तो गांधी जी का नाम रखा जाये । तो उनके नाम के प्रयोग के लिए शासन अपने ढंग से अनुमति दे सकता है । यह धारा ३ में संशोधन है और जो धारा ३ (ख) का संशोधन है उसके कारण जो व्यवस्था करना आवश्यक है उसी से सम्बन्धित है । मैं उसके विस्तार के सम्बन्ध में नहीं जाना चाहता हूं ।

(इस समय २ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पुनः पीठासीन हुए ।)

इनके अतिरिक्त जो अन्य संशोधन किए गये हैं वह सब साधारण संशोधन हैं । मैं इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के

---

*खिलांक ७ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।
**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा जो ऐसे शब्द थे और जिनके द्वारा किसी की गरिमा बढ़ती थी, उसमें रोक नहीं लगी है और उनके नाम का दुरुपयोग न किया जाये इसीलिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । जनता पार्टी के शासन ने निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र के तरीके पर रोक नहीं लगायेंगे, इसीलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और मुझे आशा है कि सभी लोग इसका समर्थन करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में कहना चाहता हूं । एक तो यह है कि जो संघ का नाम लिया गया है उसका मतलब जनसंघ से तो नहीं लाया गया है । यह एक चिन्ता का विषय है कि सरकार ने वह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है । सरकार जिसको आज्ञा देगी वह गांधी शब्द का प्रयोग कर सकेगा । आप या तो नियम यह सबके लिए बनाते और जो दुरुपयोग पहले चलता था उसको रोक देते, इसके द्वारा मुझे डर है कि राजनैतिक दृष्टि से इसका उपयोग किया जायेगा । आप जिसको राजनैतिक कारण से अनुमति नहीं देना चाहेंगे उसको नहीं देंगे । ऐसा अधिकार सरकार को नहीं मिलना चाहिए । दूसरे सेक्शन में जो नवीनीकरण की बात कही गयी उसमें जो शक्ति स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है वह तो ठीक है । उसकी रोक तो उचित है, लेकिन जो नाम परिवर्तन करने में रोक लगा रखी है और उसके अधिकार जो अपने हाथ में ले लिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि आपकी नियत बिल्कुल राजनैतिक है । इस तरह की चीज किसी संस्था या बोर्डो के हित में नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार कर लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । धारा २ का जो संशोधन है उसमें सरकार को अधिकार देना इसलिए आवश्यक है कि किसी भी ऐसे नाम के साथ उस पवित्र नाम को जोड़ा जा सकता है जिससे उसकी गरिमा गिर जाये । इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार के पास यह अधिकार रहे, मैं इसके समर्थन में हूं । पर उप धारा ३ के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कभी कोई विवाद खड़ा हो जाये कि नवीनीकरण कराने का अधिकार अमुक व्यक्ति का है या नहीं, इस चीज के निर्णय करने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिये । इसमें जो यह लिखा है कि इस सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होगा तो वह राज्य सरकार का निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, इसमें बड़ा खतरा मुझे दिखायी पड़ता है । न्यायिक मामले में अधिकार यदि राज्य सरकार ने लिया तो उसमें पक्षपात की गंध आता है । जिस प्रकार से रेन्ट कन्ट्रोल की अपीलें पहले राज्य सरकार को जाती थी, पर बाद को इसे न्यायाधिकरण को यह अधिकार दे दिया गया, इसी प्रकार से इसे भी यह मामला, यह अधिकार किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ही देना चाहिये था जो सत्र न्यायाधीश से नीचे का न हो । यह मेरा एक सुझाव है, शेष से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं ।

*श्री मधुकर दिघे--

माननीय, यह अधिकार जो शासन ने लिया है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका दुरुपयोग न हो । चूंकि पहले दुरुपयोग हुआ है इसलिये अहतियात बरती गयी है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस धारा को ठीक से पढ़ा नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर के मुख्य मंत्री के आसन पर बैठने पर)

श्री देव बहादुर सिंह--

आज से मान्यवर, मुख्य मंत्री श्री तोमर जी हो गये हैं । (हंसी)

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मैं तो जरा यादव जी से बात करने आया हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

नियम के अनुसार उस स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नहीं बैठना चाहिये। माननीय तोमर जी, आप दूसरे स्थान पर बैठ कर बात कर लें ।

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने मुख्य मंत्री का आसन छोड़ दिया) ।

श्री मधुकर दिघे--

देव बहादुर सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया संघ का, मैं उनको बता दूं कि संघ से मतलब उस संघ से नहीं है जिससे वे समझते हैं, संघ तो कई होते हैं, चीनी मिल मजदूरों का संघ है, अगर कई तरह से संघ हैं जो सैकड़ों वर्ष पूर्व बने हैं, तो इसलिए माननीय राजेन्द्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि जो आशंका....।

श्री देव बहादुर सिंह---

गांधी जी के साथ संघ काहे को जोड़ रहे हैं ।

श्री मधुकर दिघे--

यह हमारी गलती नहीं है । कुछ लोगों के दिमाग पर भूत सवार है उसी का नतीजा है । मैं तो भूत उतार रहा हूं ।

(हंसी)

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए । जो डिस्क्रीशन किसी भी संस्था, व्यक्ति या सरकार को दिया जाता है तो उसमें यह नहीं होता है कि वह जुडिशियरी में इस्तेमाल होना चाहिए । तो ऐसी आशंका क्यों ? मेरे विश्लेषण के बाद मैं समझता हूं कि इस पूरे विधेयक का आप सब लोग समर्थन करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड २ से ७ तक, खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

अधिनियम संख्या २१, सन् १८६० की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० को (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ में, उपधारा (२) में खंड (ब) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यह कि राज्य सरकार आपवादिक परिस्थितियों में ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी सोसाइटी को अपने नाम में शब्द 'संघ' या शब्द 'गांधी' का प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकती है, और तदुपरान्त सोसाइटी के नाम में उस शब्द का प्रयोग ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नवीकृत करने से इन्कार करने का आधार नहीं होगा ।"

नयी धारा ३-ख का बढ़ाया जाना ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

राज्य सरकार को निर्देश

"३-ख—यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या कोई सोसाइटी धारा ३ के अनुसार अपनी रजिस्ट्री कराने या धारा ३-क के अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नवीकृत कराने की हकदार है, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

नयी धारा ५-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बन्धन

"५-क (१) किसी विधि संविदा या अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय या उसके किसी सदस्य के लिये यह विधिपूर्ण न होगा कि वह ऐसी किसी सोसाइटी की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, न्यायालय के पूर्वानुमोदन के बिना करें ।

(२) उपधारा (१) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा ।

स्पष्टीकरण---१---शब्द "न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो धारा १३ में उसके लिये दिया गया है ।

स्पष्टीकरण---२---इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "अन्तरण" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा :---

(क) कोई बन्धक, प्रभार, विक्रय, दान या विनियम,

(ख) पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टा, या

(ग) अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति ।"

धारा १२-क का संशोधन

५---मूल अधिनियम की धारा १२-क में, शब्द "अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से अन्यून सदस्य की सम्मति से" के पश्चात् शब्द "और रजिस्ट्रार के लिखित पूर्वानुमोदन से" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा १२-घ का संशोधन

६---मूल अधिनियम की धारा १२-घ में, उपधारा (१) में खंड (क) में, शब्द "था" के स्थान पर शब्द "है" रख दिया जायगा ।

धारा २१ का प्रतिस्थापन

७---मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :---

"२१---इस अधिनियम में, शब्द "रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा, इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या कोई शक्ति राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की जाय ।"

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खन्ड २, ३, ४, ५, ६ व ७, खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८†

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, यह भी संशोधन बहुत ही साधारण तरीके का है और आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है । इसमें मान्यवर, केवल इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो परिभाषा है उसमें गोबर गैस संयन्त्र भी सम्मिलित कर

---

†दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिया जाये । यह इसलिए आवश्यक होगा कि बैंकों से सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को जो कठिनाई होती थी उससे उन्हें बचाना चाहता हूं । इस सिलसिले में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता । जो शासन की नीति है, जो माननीय सदस्यों का मत है उस को दृष्टिगत रखते हुए गोबर गैस संयन्त्र को भी इसमें सम्मिलित कर देने से जो कठिनाई थी, वह नहीं रहेगी । इसके साथ-साथ जो बैंकों की परिभाषा की गई थी उसमें रुरल बैंक नहीं थे, उनको विधेयक में सम्मिलित कर देना आवश्यक हो गया था क्योंकि लोगों को ऋण देने में उनके ऊपर भी जिम्मेदारी इस विधेयक से की जाय और इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी सहूलियत होगी वह यह कि राजस्व द्वारा उसके अनुसार देकर ऋण वसूल करते थे तो ऋण को वसूल करने में सरलता होगी और बैंकों की कठिनाइयां दूर हो जायेगी और ऋण देने का काम सरल होगा । इसी बात को ध्यान में रखा गया है और यह संशोधन विधेयक लाया गया है । मैं समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसका समर्थन करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

किसानों को गोबर गैस के लिये भी ऋण उपलब्ध हो उसके लिये आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं । लेकिन वैसे गोबर गैस के लिये जो शेडयूल्ड बैंक्स हैं उनसे किसानों को ऋण मिलता रहा है । कहीं पर अड़चन परिलक्षित रही हो तो और बात है । गोबर गैस प्लांट जितने भी लगे हैं वह अधिकांश बैंकों से ऋण लेकर लगे हैं । दूसरे बैंकों को इसके अन्तर्गत किया जाये इसलिये इसको आप लाये हैं । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वस्तुतः यह जो संशोधन माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है यह किसानों का बड़ा हितकर है । हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में और गांवों के विकास के लिये आज हमारे गोबर गैस संयन्त्रों का जो महत्व बढ़ रहा है चाहे वह घर में प्रकाश की आवश्यकता के लिये हो या चाहे खाना पकाने की आवश्यकता के लिये हो तो हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये यह किसी से छिपा नहीं है कि गोबर गैस का बहुत ही महत्व है ।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जब हम किसानों को ऋण देने की बात करते हैं उनको सुविधा देने का प्राविधान कर रहे हैं, गोबर गैस के लिये किसान को सस्ते दाम पर कर्ज मिल सके इसलिये इसका प्राविधान किया गया है । उसकी परिभाषा में जो बैंक नहीं आते हैं उनको भी शामिल किया गया है । मैं समझता हूं कि इस बिल की जितनी प्रशंसा की जाय अच्छा है । गांव के निर्बल वर्ग और कृषक जो गोबर गैस लगाना चाहते हैं और उसके द्वारा बिजली का खर्च कम करके, क्योंकि उस पर भार ज्यादा है, गांव की अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं उनको इससे बहुत बड़ा अवसर मिलेगा । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है । सदन सर्व-सम्मति से इसको पारित करे ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस संशोधन पर क्या सभी लोगों ने पूर्ण रूप के समर्थन किया है । इसको पारित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड २, ३, ४, खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जाएगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १९, सन् १९७३ की धारा २ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में,--

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "उपकरणों तथा मशीन" के पश्चात् शब्द "और साथ ही गोबर गैस संयंत्र" बढ़ा दिये जाएंगे,

(दो) खन्ड (ग) में, उप खन्ड (८) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्--

"(८-क) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, १९७६ की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित किसी रीजनल रूरल बैंक"।

धारा ३ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ३ में, शब्द "सीरदारों" और शब्द "सीरदार" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जाएंगे ।

अनुसूची का संशोधन

४--मूल अधिनियम की अनुसूची के तीसरे पैरा के उप पैरा (२) में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक ५ मई, १९७९ के उपवेशन में नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री गोकरन प्रसाद की सूचना, जो २४ अप्रैल, १९७९ को महाविद्यालय, गाजीपुर के परिसर में श्री अशोक कुमार की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, को केवल मैंने स्वीकार किया है । मंत्री जी इस पर ६ मई को वक्तव्य दे दें ।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आउट होने तथा व्यापक नकल के सम्बन्ध में होने वाले बक्तव्य का स्थगन (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

शिक्षा मंत्री का क्र० सं० ५ पर जो वक्तव्य है उसमें ४ बजे उनको मैंने बुलाया था लेकिन अब उनको ७ तारीख के लिये हम कर रहे हैं ।

अब हम उठते हैं और ७ मई, १९७९ को ११ बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ३ बजकर १० मिनट पर सोमवार, ७ मई, १९७९ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ मई, १९७९

पी० एस० यू० पी०--१० वि० सभा--३-५-८०--८३५ (पी० डी०) ।